राजस्थान विधान सभा

इक्कीसवीं बैठक, शुक्रवार, दिनांक—२ अप्रैल, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर में ८ बज कर ४९ मिनट (मध्यान्हपूर्व) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—श्री चाँदमल मेहता।

प्रश्न संख्या ६४९

राजस्थान में लोहे की छड़ें तैयार करने की खानें

श्री चाँदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में लोहे की छड़ें (सरिये) तैयार करने के कितने कारखाने हैं ?

(ख) उनमें प्रति वर्ष कितना उत्पादन होता है ?

(ग) क्या यह राजस्थान की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य तथा उद्योग व व्यवसाय मन्त्री)—(क) राजस्थान में लोहे की छड़ें तैयार करने के दो कारखाने हैं —

		उत्पादन प्रतिवर्ष	
		टन	हन्डरवेट
१.	मेसर्स जयपुर मेटल इन्डस्ट्रीज़ लि० जयपुर	११०	१०
२.	मेसर्स मान इन्डस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन, जयपुर	९०८	०
	योग	१०१८	१०

यह उत्पादन राजस्थान की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं है और काफी माल बाहर से मंगाना पड़ता है।

श्री चाँदमल मेहता--क्या उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के पास कोई योजना है ?

श्री जयनारायण व्यास--कोई भी उद्योग-पति अगर इस व्यवसाय को चालू करने के लिए तैयार हो तो सरकार उसको प्रोत्साहन देने की बात सोचेगी ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्रीजी की जानकारी में हैं कि इस उद्योग के सम्बन्ध में किशनगढ़ के एक कारखाने ने मांग रखी थी किन्तु उस पर विचार नहीं किया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—यह पता नहीं है कि माँग कब रखी गई थी और कब उस पर विचार नहीं किया गया ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री जी की यह जानकारी में है कि इस इन्डस्ट्री के लिए स्क्रेप आइरन की आवश्यकता होती है और आवेदन-पत्र इस सम्बन्ध में दिये जाते हैं तो वे रिजेक्ट कर दिये जाते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरे सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया है ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय आयन्दा के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ऐसे कारखानों को स्क्रेप आयरन का कोटा प्राप्त हो सके ?

श्री जयनारायण व्यास—आवेदन-पत्र आने पर ही विचार किया जा सकता है। बिना आवेदन-पत्र के विचार करना तो केवल कल्पना होगी ।

श्री चाँदमल मेहता--तो जो आवेदन-पत्र पेन्डिंग हैं उन पर विचार किया जावेगा ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं नहीं कह सकता कि क्या आवेदन-पत्र पहले के हैं। यदि आप कोई सूची दें तो मैं विचार कर सकता हूँ । यदि पुराने आवेदन-पत्र पेन्डिंग हों अथवा डिस्पोज़्ड ऑफ होकर फाइलों में चले गये हैं तो उनका पता लगना कठिन है ।

श्री चांदमल मेहता--क्या (अश्रव्य) कॉर्पोरेशन लि० किशनगढ़ का कोई आवेदन-पत्र पेन्डिंग है ?

श्री जयनारायण व्यास--कब से पेन्डिंग है, मैं नहीं कह सकता हूँ । अब सूचना मिली है, मैं इसका पता लगाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या ६५०

राजस्थान में प्रति वर्ष ऊन उत्पादन तथा उसका निर्यात

श्री चांदमल मेहता--क्या उद्योग व व्यवसाय मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

[श्री चाँदमल मेहता]

(१) राजस्थान में प्रति वर्ष कितना ऊन पैदा होता है ?

(२) कुल पैदावार का कितने प्रतिशत बाहर भेजा जाता है ?

(३) क्या सरकार राजस्थान में ऊन की मिल खोल रही है ?

(४) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हो रही है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य तथा उद्योग व व्यवसाय मन्त्री)—(१) राजस्थान में अनुमानतः पौने तीन लाख मन ऊन प्रतिवर्ष पैदा होती है।

(२) राजस्थान की ऊन का लगभग ८० प्रतिशत भाग निर्यात होता है।

(३) राजस्थान में ऊन की मिल की स्थापना के लिए पर्याप्त क्षेत्र है।

(४) मेसर्स कृष्णा कपूर एण्ड कम्पनी नामक फर्म को जयपुर में ऊन कातने का एक कारखाना लगाने की स्वीकृति दी जा चुकी है। यह फर्म अभी तक बाहर से मशीनरी आदि मंगवाने की कोशिश कर रही है।

श्री कानसिंह—क्या माननीय मन्त्री यह बतलायेंगे कि सब से ज्यादा ऊन कौन से जिले में होती है ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरे पास आंकड़े तो इस वक्त नहीं हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जिसको चौखाला कहते हैं वहाँ ज्यादा ऊन पैदा होता है। इसमें बीकानेर, नागौर, चूरू और शेखावाटी का इलाका आ जाता है।

श्री कानसिंह—सरकार बीकानेर में ऊन का कारखाना क्यों नहीं खोल रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार का कोई कारखाना ऊन का नहीं, यह तो प्राइवेट सेक्टर का काम है। अगर माननीय सदस्य बीकानेर में कारखाना खुलवायेंगे तो सरकार उस कारखाने को प्रोत्साहन देने को तैयार है।

प्रश्न संख्या ६५१

राजस्थान राज्य की सेवा में द्वितीय युद्ध में सेवायें करने वाले डॉक्टर

श्री चाँदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान राज्य की सर्विस में ऐसे कितने डॉक्टर हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में सेवायें की थीं ?

(ख) क्या उन सब डॉक्टरों को उनके द्वारा की गई सर्विसेज़ की अवधि को सीनियरिटी की दृष्टि से मान्यता दी गई है ?

[श्री चाँदमल मेहता]

(ग) क्या इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की तरफ से कोई सर्कुलर्स आये हैं ?

(घ) क्या यह सही है कि कुछ डॉक्टरों के रिप्रेजेन्टेशन दो-दो साल से इस सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य तथा चिकित्सा मन्त्री)—(क) १८।

(ख) सीनियोरिटी का अभी फैसला नहीं हुआ, प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) जी हाँ, किन्तु सिनियरिटी से सम्बन्ध नहीं रखते।

(घ) जी हाँ।

श्री चाँदमल मेहता—यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य—बहुत थोड़े अरसे तक।

श्री चाँदमल मेहता—"बहुत थोड़े अरसे" से क्या मतलब लिया जाय ?

श्री जयनारायण व्यास—महीने डेढ़ महीने तक।

श्री चाँदमल मेहता—यह प्रश्न कब से विचाराधीन है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जब से यह लिस्ट तैयार हुई तब से।

श्री चाँदमल मेहता—यह लिस्ट कब तैयार हुई ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जब राजस्थान बना उसके बाद।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—राजस्थान कब बना ?

श्री कुम्भाराम आर्य—वह तारीख माननीय सदस्य को याद रहनी चाहिये।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—याद नहीं है, क्या आप बतला सकेंगे ?

श्री कुम्भाराम आर्य—आपके दिमाग की कमजोरी मुझ पर मत डालिये।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—हम आपके दिमाग को भी आजमाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

प्रश्न संख्या ६५२

श्री अध्यक्ष—श्री गुरुदयालसिंह सन्धु।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६५३

राजस्थान के वे कारखाने जिनसे रोयल्टी या सेल्स टेक्स के नाम से टेक्सेज़ लेना

श्री चाँदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

[श्री चाँदमल मेहता]

राजस्थान में ऐसे कितने कारखाने हैं जिनसे रोयल्टी या सेल्स टेक्स के नाम से टेक्सेज़ लिये जाते हैं ?

श्री जयनारायण व्यास [मुख्य तथा उद्योग मन्त्री]—राजस्थान में निम्नलिखित कारखाने हैं जिनसे रोयल्टी या सेल्स टेक्स के नाम से टेक्सेज़ लिये जाते हैं ।

	तादाद
१. उदयपुर डिवीजन	५६
२. कोटा डिवीजन	४
३. जोधपुर डिवीजन	४
४. जयपुर डिवीजन	२
५. बीकानेर डिवीजन	—
योगफल ६६०.	६६.

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि हिन्दुस्तान के किसी भी प्रान्त में रोयल्टी नाम से कोई टेक्स नहीं लिया जाता ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि यह प्रश्न यदि पार्लियामेंट में भेजा जाता तो ज्यादा अच्छा होता ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि रोयल्टी टेक्स के कारण उद्योग-धन्धों के पनपने में बाधा पहुँचती है ?

श्री जयनारायण व्यास—राजस्थान की आय का बहुत बड़ा हिस्सा रोयल्टी पर मुनस्सर है ।

श्री चान्दमल मेहता—यह रोयल्टी जिस वक्त लगायी गई उस वक्त इनकम टेक्स नहीं था; अब जब कि इनकम टेक्स लागू हो गया है तो इसको क्यों लागू किया जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास—इनकम टेक्स लगाने से पहले उन सब टेक्सों पर पूरी तरह से विचार कर लिया गया था ।

प्रश्न संख्या ६५४

पिछले पाँच वर्षों में राजस्थान की भोडल खानों में से निकाला गया माल तथा उसका निर्यात

श्री चाँदमल मेहता—क्या उद्योग व खनिज मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

[श्री चाँदमल मेहता]

पिछले ५ सालों में राजस्थान की मोडल खानों में से कितने टन माल निकाला गया और कितना बाहर भेजा गया ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य तथा उद्योग व खनिज मन्त्री)--पिछले पाँच वर्षों में राजस्थान के मोडल की खानों से ३६१०८ टन अपरिशोधित (क्रूड) मोडल निकाला गया और ६७६५ टन परिशोधित (कट) मोडल बिक्री के हेतु राजस्थान से बाहर भेजा गया।

प्रश्न संख्या ६५५

औषधालयों एवं डिस्पेन्सरियों के वर्गीकरण का आधार-विशेषतया बाँसवाड़ा से सम्बन्धित

श्री धूलजी भाई भावसार—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे—

(१) सरकार ने होस्पिटल एवं डिस्पेन्सरियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है ?

(२) क्या सरकार के ध्यान में है कि गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, की डिस्पेन्सरी १८ बेडस (Beds) की होते हुए भी थर्ड ग्रेड में रखी गई है ?

(३) क्या यह वर्गीकरण घोषित नीति के अनुसार किया गया है ?

(४) क्या सरकार गढ़ी डिस्पेन्सरी को हॉस्पिटल बनाने पर विचार करेगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)— (१) यह वर्गीकरण शय्याओं की संख्या के आधार पर किया गया है।

(२) गढ़ी डिस्पेन्सरी की स्वीकृत शय्या संख्या ६ है और वह २ ग्रेड डिस्पेन्सरी में रखी गई है।

(३) जी हाँ।

(४) गढ़ी डिस्पेन्सरी का अभी अस्पताल बनाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि इस समय दैनिक इन्डोर रोगियों की औसत संख्या २ और ३ के बीच में है ?

श्री धूलजीभाई भावसार—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतायेंगे कि क्या वहाँ की जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वह वर्गीकरण किया गया है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—शय्याओं की संख्या को ध्यान में रखा गया है।

Page No.7

प्रश्न संख्या ६५६

भुंझुनू जिले के औषधालय द्वारा ५३-५४ की पुलिस इन्जुअरी रिपोर्ट्स लेना

श्री महादेव प्रसाद--क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

(क) भुँझुनू जिले के मेडिकल होस्पिटल से सन् ५३-५४ में पुलिस द्वारा कितनी (injuries) रिपोर्ट ली गई ?

(ख) क्या यह भी सही है कि पुलिस द्वारा मांगी गई Injuries रिपोर्ट्स की भी फीस ली जाती है ?

(ग) क्या यह भी सच है कि फीस नहीं देने पर दो-तीन दिन तक कोई संभाल नहीं की जाती है तथा उसकी रिपोर्ट भी बिगाड़ दी जाती है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) ६५.

(ख) (ग) (घ) सरकार के पास इस सम्बन्ध की कोई रिपोर्ट नहीं पहुँची।

श्री महादेव प्रसाद—क्या सरकार के पास ऐसी कोई रिपोर्ट भेजी जायगी तो क्या सरकार द्वारा कार्यवाही की जावेगी ?

श्री कुम्भाराम आर्य—जी हाँ।

प्रश्न संख्या ६५७.

सवाई माधोपुर नगर में पुरुषार्थियों के निवास के लिए मकान रिक्विज़िट करना

श्री श्रीदास गोयल—क्या मुख्य मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सवाई माधोपुर नगर में पुरुषार्थियों के निवास के लिए कब, कितने मकान रिक्विज़िट किये गये ?

(ख) मकान मालिकों को कोई किराया अदा किया गया ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं और अब कब तक अदा कर दिया जावेगा ?

श्री अमृतलाल यादव (वन मन्त्री)—(क) सवाई मधोपुर में विस्थापितों के निवास के लिए १६४६ में आठ मकान रिक्विज़िट किये गये।

(ख) दो मकान मालिकों को किराया चुका दिया गया है।

(ग) बाकी के जो ६ मकान हैं उनका किराया अभी तक नहीं चुकाया गया है। जिन विस्थापितों को यह मकान दिये गये उन मकानों में टूट-फूट होने और खराब अवस्था में होने के कारण उन्होंने किराया नहीं दिया है।

श्री श्रीदास गोयल— क्या माननीय मन्त्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि इस इन्फोरमेशन की, टूट-फूट और खराब होने की वजह से किराया नहीं दिया गया, दुबारा जाँच की जायगी? अगर यह इन्फोरमेशन सच न हो तो उन अधिकारियों को सरकार दण्ड देगी?

श्री अमृतलाल यादव—जी हाँ, टूट-फूट के बारे में जाँच की जायगी। असल में बात यह है कि मकान का किराया पुरुषार्थी देते हैं, सरकार द्वारा नहीं दिया जाता।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार ने गजट में नोटिफिकेशन करके लेन्ड रिक्वीज़ीशन एक्ट के मातहत इन मकानों को रिक्वीज़िट नहीं किया?

श्री अमृतलाल यादव—जी हाँ, रिक्वीज़िट किया है।

श्री श्रीदास गोयल—जब सरकार द्वारा रिक्वीज़िट किये गये हैं, तो क्या सरकार की वह जिम्मेदारी नहीं हो जाती कि उनका किराया वह दिलाये?

श्री अमृतलाल यादव—सरकार द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या मैं इससे यह मानूं कि सरकार इनका किराया दिलाने की बहुत जल्दी व्यवस्था करेगी?

श्री अमृतलाल यादव—जी हाँ।

प्रश्न संख्या ६५८

सवाई माधोपुर तहसील के अन्तर्गत पत्थर की खानों के स्वामी

श्री श्रीदास गोयल—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क) सवाई माधोपुर तहसील के अन्तर्गत पत्थर की कुल खानों की मालिक राजस्थान सरकार है?

[श्री श्रीदास गोयल]

(ख) यदि हाँ, तो क्या जयपुर उद्योग लिमिटेड, सवाई माधोपुर जो सीमेन्ट बनाने के लिए पत्थर फलोदी की खानों से ला रहा है उससे उसकी रोयल्टी वसूल की गई है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं और यदि हाँ, तो कितना रुपया व किस हिसाब से ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य एवं खनिज मन्त्री)—(क) हाँ।

(ख) नहीं।

(ग) मुताबिक एग्रीमेंट के जयपुर उद्योग लिमिटेड से १० साल तक पत्थर पर कोई रोयल्टी वसूल नहीं की जा सकती।

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक कितना पत्थर पहाड़ से इस फैक्ट्री ने ले लिया है ?

श्री जयनारायण व्यास—रोयल्टी की सीमा में आने वाले पहाड़ों का पत्थर है, इसलिए यह बतलाना मुश्किल है कि कितना पत्थर ले लिया ?

श्री श्रीदास गोयल—लेकिन क्या सरकार सतर्क है कि कितना पत्थर वहाँ से अब तक ले जाया जा चुका है ?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार सतर्क है और जितना माफ किया हुआ है उतने से ज्यादा जावेगा तो रोयल्टी ले ली जावेगी।

श्री श्रीदास गोयल—तो, क्या इसकी देख-भाल करने के लिए वहाँ सरकार के कोई अधिकारी मौजूद हैं कि वहाँ से पत्थर कितनी तादाद में जाता है ?

श्री जयनारायण व्यास—अधिकारी को हर वक्त खड़ा नहीं किया जाता पहाड़ पर।

श्री श्रीदास गोयल—तो, फिर क्या सरकार यह बतलावेगी कि सरकार के पास वहाँ के आउटपुट को जानने के क्या साधन हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—माइनिंग विभाग इसकी व्यवस्था करता है और इसकी डिटेल अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो अलग प्रश्न करें, तब बता सकता हूँ।

प्रश्न संख्या ६५६

गंधार (जिला झालावाड़) के राजकीय चिकित्सालय में महिला परिचारिका की नियुक्ति

श्रीमती यशोदा देवी—क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे:—

Page No.10

[श्रीमती यशोदा देवी]

गंधार जिला झालावाड़ के राजकीय चिकित्सालय में दो वर्ष से महिला परिचारिका (नर्स) की नियुक्ति की आज्ञा होते हुए भी वहाँ अब तक नर्स की नियुक्ति क्यों नहीं की गई है ?

श्री कुम्भाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—परिचारिका प्राप्त न होने के कारण।

प्रश्न संख्या ६६०

इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरों की नियुक्ति के लिए ग्रेड

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरों की नियुक्ति के लिए कोई ग्रेड बना रक्खे है ? यदि हाँ, तो वे क्या-क्या हैं ?

(ख) क्या ये ग्रेड युनीवर्सिटी की डिग्रियों के आधार पर तय किये गये हैं ? यदि हाँ, तो कौन-कौन सी श्रेणियों के लिए कौनसी डिग्री मानी गई है ?

(ग) क्या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने इन श्रेणियों पर वेतन का स्तर अलग-अलग माना है या एक सा ही ? यदि एक ही है तो ये श्रेणियाँ क्यों रक्खी गई हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—(अल्प विराम के अनन्तर)

मैं इस प्रश्न का उत्तर पीछे दे सकूँगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री धूलजी भाई।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of Order, Sir, just now I have heard that the Hon'ble Chief Minister was saying that he would like to reply the question afterwards. I have known in no legislature where a question has been put to Hon'ble Minister and he says, because he is not ready, he will reply afterwards

श्री अध्यक्ष—He (Shri Jaswant Singh) is very impatient.

श्री जयनारायण व्यास—जवाब आ गया है। मैं अभी दे सकता हूँ।

(क) हाँ।

एग्जीक्युटिव इन्जीनियर ५००-२५-६५०-ई० बी० २५-८०० के ग्रेड में।

[श्री जयनारायण व्यास]

असिस्टेन्ट इन्जीनियर 'ए' ग्रेड एवं 'बी' ग्रेड २५०-२५-४०० ई० बी० २५-५०० है ।

(ख) नहीं ।

(ग) वेतन के स्तर से राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई सम्बन्ध नहीं है । अधिकतर जिन कर्मचारियों के पास डिग्री थी वे असिस्टेन्ट इन्जीनियर की 'ए' श्रेणी में रक्खे गये और जिनके पास डिप्लोमा था वे 'बी' श्रेणी में रक्खे गये ।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या माननीय मुख्य मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो श्रेणियाँ रक्खी गई हैं उनके वेतन में फर्क किस आधार पर रक्खा गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—योग्यता के कारण से ।

श्री कँवरलाल जेलिया—समान योग्यता रहते हुए भी किसी को 'बी' में रक्खा गया है और किसी को 'ए' में, यह क्यों हुआ ?

श्री जयनारायण व्यास—योग्यता का मतलब शिक्षा से, जिसे एकेडेमी एजुकेशन कहते हैं, ही नहीं है । अनुभव और दूसरी-दूसरी बातें भी आती हैं ।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की जानकारी में यह बात है कि सीनियर इन्जीनियरों को, जिनका अनुभव २५ (पच्चीस) साल का था उनको 'बी' में रक्खा गया है और इनके मुकाबले में कई जूनियरों को 'ए' में, यह फिर कैसे हुआ ?

श्री जयनारायण व्यास—योग्यता से सम्बन्धित भिन्न-भिन्न तत्वों पर विचार करके ही ऐसा किया गया है ।

श्री कँवरलाल जेलिया—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि एकीकरण के समय पाँच-सात इन्जीनियरों को जो टेम्परेरी थे उनको भी 'ए' श्रेणी में ले लिया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—क्या ले लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—Your question is not very clear.

श्री जयनारायण व्यास—साफ समझ में नहीं आया ।

श्री श्रीदास गोयल—जो टेम्परेरी सर्विस में थे उनको भी 'ए' श्रेणी में ले लिया गया परमानेन्ट सर्विस वालों के मुकाबले में, ऐसा उनका पूछना है ।

श्री जयनारायण व्यास—अगर उनकी योग्यता ऐसी समझी गई है कि वे 'ए' श्रेणी के इन्जीनियर के मुकाबले में आ सकते हैं और उनकी आवश्यकता समझी गई है तो उनको जरूर लिया गया होगा ।

Page No.12

श्री कँवरलाल जेलिया—तो इसका मतलब यह हुआ कि जो 'बी' श्रेणी के परमानेन्ट सर्विस में थे उनके साथ अन्याय हुआ है, ज्यादती हुई है उनके साथ।

श्री जयनारायण व्यास—किसी के साथ ज्यादती नहीं की गई है। अमुक-अमुक श्रेणी में रखने के लिए भिन्न-भिन्न तत्त्वों के आधार पर हर एक के अनुभव व योग्यता के ऊपर विचार करके चुनाव किया गया है। इस दृष्टि से जिसकी जैसी योग्यता थी उसको उसी हिसाब से लिया गया है।

प्रश्न संख्या ६६१ से ६६३

श्री अध्यक्ष—श्री धूलजी भाई।

(अनुपस्थित)

Yes. Next, Short Notice Question

अल्पकाल-सूचना प्रश्नोत्तर

अल्पकालिक प्रश्न संख्या ५ एल० एन० क्यु

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Local Self Government be pleased to answer :—

(a) When were elections to the Municipal Committee, Alwar completed ?

(b) Have the names of the elected members been notified in the Gazette ?

(c) If not, why has there been such an inordinate delay in such notification ?

(d) Is the Government aware that the present Chairman who could not be elected as a member is continuing to function as Chairman ?

(e) Has the Government received any representation from the residents and the newly elected members of Alwar against the present Chairman, alleging reckless and irregular spending of Municipal Finance ?

(f) What action has the Government taken in the matter ?

(g) When does the Government propose to notify the names of the newly elected members ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(अ) ४-१-५४।

(ब) जी, नहीं।

(स) विज्ञप्ति जारी करने के पूर्व वैधानिक प्रसंगों की पूर्ति में कुछ समय लगता है।

Page No.13

[श्री रामकरण जोशी]

(ड) जी, हाँ।

(इ) केवल एक तार श्री पृथ्वीसिंह, सभापति, आजाद मोर्चा से ता० २-३-५४ को प्राप्त हुआ था। इसमें जो लांछन लगाये गये थे वे निराधार साबित हुए हैं।

(फ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ज) बहुत जल्दी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कोई मियाद बता सकते हैं माननीय मन्त्रीजी कि कितनी मियाद कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक समझी जाती है ?

श्री रामकरण जोशी—यह सम्बन्धित महकमों से सूचना आने पर निर्भर करता है, जो सूचना कलेक्टर भेजा करता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने अभी बताया कि कानूनी कार्यवाही की वजह से नोटिफिकेशन में देर हो गई तो नोर्मल पीरियड कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जाने के लिए कितना गिना जाता है ?

श्री रामकरण जोशी—अलग-अलग प्रसंगों की सूचना सम्बन्धित विभागों से प्राप्त होने में जितना समय लगता है उतना ही समय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या बगैर कोर्ट के सामने ले जाये गये और बगैर मन्जूरी के कोई ठेका दे दिया गया है, पिछले एक-ड़ेढ़ महीने में ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं हैं, पर जो रोजमर्रा के काम होने वाले हैं वह तो रोज होने चाहिये और यह तो आप भी पसन्द नहीं करेंगे, यदि ऐसे रोजमर्रा के कामों में देरी की जावे।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह जो रिप्रेज़ेन्टेशन सरकार के सामने दिया गया है उस ऐसे ही एलीगेशन लगाये गये हैं ?

श्री रामकरण जोशी—इसके बारे में उत्तर दे चुका हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो एलीगेशन लगाये गये क्या उस सिलसिले में किसी अधिकारी द्वारा जाँच करवाई गई ?

श्री रामकरण जोशी—सम्बन्धित विभाग से जाँच करवाई गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह जाँच कराने से पहले क्या जिन लोगों ने यह शिकायत की उन्हें भी इसकी सूचना दी गई थी कि आपकी शिकायत को जाँच की जा रही है?

श्री रामकरण जोशी—वह शिकायत दलबन्दी के आधार पर थी और वहाँ जाने पर साबित हुआ कि जैसे कहते थे उसका कोई आधार नजर नहीं आया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जिन लोगों ने शिकायत की थी उनको सूचना दी गई थी कि वहाँ अमुक-अमुक अधिकारी जाँच कर रहे हैं?

श्री रामकरण जोशी—कॉन्फीडेन्शियल एन्क्वायरी में इसकी जरूरत नहीं होती।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कॉन्फीडेन्सल एन्क्वायरी की रिपोर्ट कब तक उपलब्ध हुई?

श्री रामकरण जोशी—उस वक्त ही आई जिस वक्त आनी चाहिये थी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—सरकार ने जो शिकायतों के सम्बन्ध में कॉन्फीडेन्शियल इन्क्वायरी करवाई तो क्या अलवर म्युनिसिपलेटी को छोड़कर और कहीं कॉन्फीडेन्शियल इन्क्वायरी कराई गई इस सिलसिले में? (घंटी)

एक और सप्लीमेन्ट्री है। सीकर के सिलसिले में कुछ निश्चित अवधि बतायेंगे?

श्री रामकरण जोशी—मेरे ख्याल से नेक्स्ट इश्यू में।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—Sir, I lay as required under clause 5 of Article 320 of the Constitution of India a copy of the amendment made by His Highness the Rajpramukh to Rule No. 11 (1) of the Rajasthan Public Service Commission (Limitation of Functions) Act, 1951.

स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मेरे पास २ स्थगन प्रस्ताव आये हैं जिनमें उसी विषय से सम्बन्ध है कि जिसके बारे में २ स्थगन प्रस्ताव कल सदन के सामने पेश हुए थे; अर्थात् ३० मार्च, सन् १९५४ को जो पब्लिक मीटिंग एड्रेस हुई थी पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा, उसके विषय में। मैंने अपना निर्णय उन दोनों स्थगन-प्रस्तावों के विषय में दे दिया था, इसलिए इनके बारे में अधिक कुछ कहना आवश्यक नहीं है और मैं इनको अनियमित करार देता हूँ।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, you permit me; I want to raise a point of order.

श्री अध्यक्ष--Yes.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--माननीय अध्यक्षजी, अभी आपने यह रूलिंग...

श्री अध्यक्ष—Only point of order, nothing more: nothing on the point of disorder.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—I don't believe in disorder.

श्री अध्यक्ष—It is disorder to say something against the ruling of the Chair. The Hon'ble Member will have this in mind.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—I don't belong to the Communist Party, Sir, though I have taken to red tie slowly and slowly.

श्री अध्यक्ष—What is this ? Come to the point.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--When the Speaker gives a ruling, it is the duty of every Hon'ble Member of the House to obey it implicitly. I believe in it, but also it is the privilege of the Members of the House to persuade the Chair to change his views in case a mistake has been made.

श्री जयनारायण व्यास--Is it a point of order or a point of advi?ec

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--I am coming to the point of order.

अध्यक्ष--Come to the point. Do'nt go round about.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह--In the House of the People the same question came up when Mr. Mavalankar gave his ruling......

श्री अध्यक्ष—What is the point, I want to know that. Come to the point of order. I want to have the point of order. I am very impatient to hear that.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—My point of order is that if the Speaker has given his ruling, it is the privilege of the Members to persuade him to revise his views and if he is convinced he can change his views. This view has been held in the House of Commons. No less a personality than Pandit Jawaharlal Nehru questioned that when the Speaker has given his ruling no Member can question it: to which Mr. Mavalankar replied, "Yes, that is true; but every Member has the right to persuade the Speaker to change his views" and, therefore, Sir, what ever ruling you gave yesterday, I consider as a Member of this House my privi-

Page No.16

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

lege to persuade you, this question being far reaching and it will, help the Government as well as the people of Rajasthan in the future that you may be pleased to revise your views.

श्री अध्यक्ष—It is one point of order on which I should give may ruling.

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष,.....

श्री अध्यक्ष—Order ! Order please !! You were late.

श्री मानसिंह महार—I want to say something.

श्री अध्यक्ष—On what point ?

श्री मानसिंह महार—On this very point. मेरी एक मिनिट बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—Order ! Order please !! You will maintain the order.

श्री हजारीलाल शर्मा—The Speaker is in the possession of the House.

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Then there is another adjournment motion intended to be moved by Shri Balvir Singh. I would like to...

कुँ० श्रीजसवन्तसिंह—Hear, Hear.

श्री अध्यक्ष—I would like to read out that and then give my observations on that :—

"That this House do now adjourn to discuss the serious situation arising out of the confirmation by the Revenue Minister of the decision to hand our the 'Beed' [grazing ground] of the village Fatehpur Tehsil, Fatehpur, Dist. Sikar to a so called Pinjrapol of that place."

He has also mentioned by the way in the note appended to this that about a week back the Revenue Minister has decided the matter and against all rules the whole 'Beed' has been handed over to the Seths.

Well, as previously observed we had the opportunity to raise discussion on any matter when the Budget came, on the Rajpramukh's Address and when

Page No.17

[श्री अध्यक्ष]

the general discussions on the Budget were going on and also when the Demands were being taken up one by one. Further the so-called order by the Revenue Minister, when given only a week ago, the Hon'ble Member had an opportunity to raise a discussion over that matter by way of cut-motions. I think the urgency which he feels now was not in his mind then. Moreover, this is not a matter of such an urgent public importance as to warrant the adjournment of the House to the extent that we adjourn the House. This may be a local matter and locally very urgent and important; but it is not so urgent and important that we should adjourn the sitting of the House to discuss this. I do'nt accord my sanction or consent to this and I rule it out.

श्री बलवीरसिंह—Mr. Speaker, Sir,......

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Under the rules no Member can......

(श्री बलवीरसिंह के फिर भी बोलने के लिए खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष—What is all this ? Are you coming to order or not ? I am not going to allow such a sort of disrespect to the whole House.

(श्री बलवीरसिंह बैठ जाते हैं)

Now there are again two privilege motions one tabled by Shri H. K. Vyas and the same typed copy tabled by Kr Shri Jaswant Singh.

(हियर, हियर)

विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री मथुरादास माथुर—He is getting pink.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—That is before getting red.

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! I think their purpose will be served if I make observations after reading the motion.

"That this House do now adjourn to discuss the breach of privilege committed by Shri Mathuradass Mathur by questioning the Members of this House about their votes cast in the election of the Financial Committees and thus interfered with the free discharge of the Members' right of vote under Rules 187 and 189.

[श्री अध्यक्ष]

Now, I think all these matters relate to the internal functioning of the party and there does not arise a least question of privilege. I do'nt think I can give my consent to such discussions on a subject which might influence the functioning of the parties in a parliamentary way.

(हियर, हियर)

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, this question is very serious.

श्री अध्यक्ष—A ruling has been given on this question and if the Hon'ble Member has any grievance against this he can come to my Chamber.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Then we will have to find a way out......

श्री अध्यक्ष—You may.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Because, the position has reached where we want a Speaker who can protect us.

श्री मथुरादास माथुर—He is protecting.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—We will see this.

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member......

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to draw attention of the Hon'ble Speaker to a ruling given on the subject of the breach of privilege and I hope it is perfectly relevant in this case.

श्री अध्यक्ष—If the Hon'ble Member is to draw my attention to any ruling regarding this he can come to my chamber and discuss. On the floor of the House I am not going to allow.

श्री मानसिंह महार—On a point of order, Sir.

मुझे यह निवेदन करना है कि इस प्रकार के मामले पर जो बातें कहनी हैं वे यदि आपके चेम्बर में आकर कही जायगीं तो हमें कैसे मालूम होगा कि क्या बातें कही गई और उनका क्या निर्णय हुआ; न्याय हुआ या नहीं हुआ, यह हमें कैसे मालूम होगा ? इसलिए मेरा निवेदन है कि जो इस बारे में डिस्कशन हो वह यहीं हो, जिससे सब को मालूम हो सके।

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! The points for discussion are rather scheduled by the order-sheet, the calendar of meetings and nothing can take prece-

[श्री अध्यक्ष]

dence over that, unless allowed by the Speaker and if the Hon'ble Member has to say anything against the ruling or has to draw the attention of the Chair then in order to maintain the dignity of the whole House and the decorum it is the duty of the Hon'ble Members to approach him in his chamber and to state that such and such observations have been made. If the Hon'ble Members want to challenge a ruling of the Chair here on the floor of the House I am afraid I do'nt know where it shall lead to. These are the basic things and the Speaker should not be attached with any personalities. He is the symbol of the dignity of the whole House and if the Members of the House defy the Speaker I do'nt think we can function in a parliamentary way. I will besiege the good-will of all the Hon'ble Members to maintain the dignity and decorum of the House just in a parliamentary way. They should not be carried away by the emotions of personal prestige or anything else. They should have the super-most thing in their mind about the maintenance of dignity and decorum of the House. With these remarks I will request the Hon'ble Members to go with the further proceedings of the House.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of information. Sir, one point is not very clear to me; I shall be grateful if you kindly make it clear. I definitely want to know whether the House is bigger or the Speaker. According to me this House has elected the Speaker and before you give a ruling it is the right of every Member that he should express his views. You give sometimes awkward-rulings without hearing our reasons and, therefore, I d'ont know where we are heading for what traditions we are making and what foundations we are laying ? This could be applied to both the sides. Somehow or the other when the Speaker thinks himself bigger then the House.........

श्री अध्यक्ष—Order ! Order Please !!

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। इस बारे में मेरे दोस्त जसवन्तसिंहजी, जो एक पुराने पार्लियामेन्टेरियन है और मेरा भी दावा है कि पार्लियामेन्टरी प्रोसिज़र का मुझे भी थोड़ा सा अनुभव है; स्पीकर का जब किसी पोइन्ट पर फैसला हो जाता है तो उसके बाद किसी भी सदस्य को इस तरह से ऐतराज करने का हक नहीं होता, जिस तरह से यहां के सदस्यों ने (एतराज) उठाने की कोशिश की है। ये ट्रेडीशन की बात कहते हैं, लेकिन जब स्पीकर खड़े हों उस समय खड़े हो जाना और बीच में बोलने लगना, स्पीकर का फैसला हो जाय तो उसका विरोध करना और इस तरह के शब्द कहना पार्लियामेन्ट्री ट्रेडिशन के खिलाफ है। यदि हमको पार्लियामेन्टरी ट्रेडिशन बनाना है तो हमको स्पीकर की इज्जत करनी पड़ेगी। यदि स्पीकर से नाखुश हों तो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कोन्फीडेन्स (Vote of no Confidence)

Page No.20

[श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)]

ला सकते हैं, लेकिन इस तरह से बातचीत करना, बीच में खड़े हो जाना, प्रोसीज़र को डिस्टर्ब करना, रूलिंग न मानना; यह ट्रेडिशन के खिलाफ है। इस प्रकार के ट्रेडिशन का हम विरोध करेंगे और जिस ट्रेडिशन को आप कायम करेंगे उसमें हमारा साथ रहेगा।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—A mis-statement has been made by the Chief Minister that we want to Controdict the Speaker.

श्री अध्यक्ष—I want to impress an appeal to the Members of the House that Speaker is nothing but the whole House signified and a defiance of the Chair means the defiance of the whole House and I think all the Members of the Treasury Benches, as well as the opposition will maintain the same dignity and the decorum which they had maintained on the day the Speaker was elected to this Chair.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—The opposition is ignored now. A mis-representation has been made.

श्री अध्यक्ष—On, behalf of the Chair.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—No Sir.

श्री अध्यक्ष—I do'nt know, you are old friends. You are a very old parliamentarian and atleast these things must be observed by you.

(विराम)

I have stressed these things time and again that when the Speaker is on the legs no Member of the House should make the trouble of standing. We should shake off all personal prestiges.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—The Chief Minister should not have made a wrong statement.

श्री अध्यक्ष—The Chief Minister and the Hon'ble Leader of the Opposition are old friends and indulge in all sort of things.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—This mis-statement should not be made.

राजस्थान लगान-दर निश्चयन तथा वैधकरण विधेयक, १९५४.

श्री अध्यक्ष—Now we come to the Rajasthan Rent Rates Determination and Validation Bill, 1954.

(To Shri Moti Ram) You wanted to speak yesterday.

आप बोलना चाहते थे कल, बोलेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir. Is it parliamentary to address the Hon'ble Members as 'you' ?

श्री अध्यक्ष—(श्री मोहनलाल सुखाड़िया से) Reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास— Has the Hon'ble Speaker ......

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !! Reply.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, रेंट कन्ट्रोल पर.........

श्री हरिकृष्ण व्यास—Before taking a decision on my point of order.....

श्री अध्यक्ष—It calls no decision.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—कल सदन में काफी चर्चा हुई और भरतपुर के एक माननीय सदस्य ने कहा कि जो कानून हम बना रहे हैं उस कानून से किसान तबाह हो जायेंगे और किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा लगान बढ़ जायगा। इस प्रकार इस कानून को गलत रूप में पेश करने का प्रयत्न किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को सूचना देना चहता हूँ कि इस कानून के लेने का मकसद यह है कि जो सन १९५१ से अब तक चौथा हिस्सा प्रोड्यूस रेंट रेगुलेशन से किया गया उसके बाद छठा हिस्सा किया गया, और भी अलग अलग लगान किया गया उनको कानूनी रूप देने का प्रश्न है। क्योंकि पिछले जोधपुर, जयपुर और दूसरी जगहों के कानून एक तिहाई, एक चौथाई तक लगान तय करने की तरफ रहें हैं और अब चूंकि एक चौथाई और एक बटा छः ($\frac{1}{6}$) हो गया है, इस परिवर्तन को कानूनी रूप देने के लिए यह कानून लाया गया है। पहले जो कानून थे, उनमें किसानों

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

की दृष्टि से सुधार हो, इस इरादे से यह कानून लाया जा रहा है; न कि किसानों की दृष्टि से कोई अहित करने वाला कानून लाया जा रहा है; बल्कि इसमें निश्चित तौर से सुधार किया जा रहा है। जहाँ प्रोड्यूस रेंट कन्ट्रोल का कानून लाया गया वहाँ सरकार की कोई मन्शा नहीं कि किसानों पर अनुचित भार डाल कर लगान की दर बढ़ा दें। मेरी कई सदस्यों से बात हुई, मैंने उनको भी विश्वास दिलाया और मैं सदन में भी कह देना चाहता हूँ कि हम नहीं चाहते कि कोई कानून के जरिये इस प्रकार का लगान बढ़ाना चाहते हों कि जिससे किसानों पर भार बढ़े या जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने कहा सरकार किसानों को लूटना चाहती हो; वैसा हो, जैसी कि हमारी नीति रही, शुरू से लेकर आज तक, उसको अगर देखें तो हर एक सदस्य समझ सकते हैं कि हमने सदन में कोई कानून रखा है या सदन में कोई कार्यवाही की है, कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की. जिससे किसानों पर भार डाला हो। सदन में हुई हर एक बात की आप जाँच कर सकते हैं उससे आपको पता चलेगा कि हर बार यही प्रयत्न किया गया है कि इस भार को कम किया जाय या जो न्यायोचित है वह किया जाय।

पिछले वक्त में हमने रेन्ट रेट्स चौथे और छठे हिस्से से तय करके पर्चे तकसीम किये, उसके ऊपर जागीरदारों ने अदालत में जाकर रिट पेश किया कि एक तिहाई, एक चौथाई से कम रेंट तय नहीं किया जा सकता और इस हिसाब से जो पर्चे तकसीम किये हैं वे लीगल नहीं हैं।

अब अगर हम इस प्रकार का प्रोविजन नहीं करते हैं तो जो पर्चे तकसीम किये गये, किसानों को जो राहत दी गई उसमें डिस्टर्बेन्स हो सकता है। इसलिए हमने यह कानुन पेश किया है ताकि किसानों को राहत मिले; किसानों को कष्ट हों; ऐसी बात नहीं।

मेरे माननीय मित्र ने भरतपुर और दूसरे इलाकों का जिक्र किया कि पहले जो कानून लागू किये, उनमें बहुत बढ़ा दिया जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह बहुत भ्रान्ति से भरा हुआ बयान था। सदन को गुमराह करने की कोशिश की गई। इस प्रकार की कोई चीज, कोई प्रश्न यहाँ नहीं है।

एक माननीय सदस्य ने कहा जि जहाँ एक बटा छः हिस्से से कम लिया जाता है वहाँ इस कानून से बढ़ जायगा। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इस कानून में एक बटा छः हिस्से से अधिक पर रोक लगाई गई है कि इससे ज्यादा न हो। इससे कम हो सकता है, कमी पर रोक नहीं लगाई गई है। जहाँ पर जैसी परिस्थिति है उसको खयाल में रखते हुए यह किया गया है। रेंट रेट्स इवोल्व किये जाते हैं तो यह देखा जाता है कि पिछले सालों में क्या पैदावार हुई। २० साल का एवरेज लिया जाता है, वहाँ की और और सरकम्सटेन्सेज़ (परिस्थितियाँ) को ध्यान में रखा जाता है, न कि उस हिसाब से जैसा मेरे माननीय मित्र द्वारा यहाँ बताया गया कि ६ मन बाजरा पैदा होता है तो १ मन ले लिया। पिछले सारे एवरेज़ देख कर पुराने कानून में जहाँ एक तिहाई से एक चौथाई का था उसको परिवर्तित किया जा रहा है, इस इरादे से कि इससे किसानों को फायदा मिलना चाहिए। तो

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

इस तरह पुरानी जो स्थिति है उसमें कोई खराबी पैदा करने की बजाय आज की स्थति में सुधार लाने के लिए यह लाया गया है ।

मैं आशा करता हूँ कि सदन इसे स्वीकार करेगा और जो अमेन्डमेन्ट्स लाये गये हैं उनको अस्वीकार करेगा ।

श्री गोपीलाल यादव--माननीय अध्यक्ष,...

श्री अध्यक्ष--आप बोल चुके हैं ।

श्री गोपीलाल यादव--मैं फिर बोलना चाहता हूँ । रूल्स के माफिक मैं रिप्लाई में बोल सकता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—You have no right of reply.

श्री गोपीलाल यादव--I have.

श्री अध्यक्ष—I quote you the rule:...

(1) ' Except in the exercise of a right of reply or as otherwise proveded by the rules, no member shall speak more than once to any motion, except with the permission of the Speaker for the purpose of making a personal explanation, but in that case no debatable matter may be brought forward.

(2) A member who has moved a motion may speak again by way of reply, and if the motion was moved by a private member, the Minister to whose department, the matter relates shall have the right of speaking whether he has previously spoken or not in the debate, after the mover has replied: Provided that nothing in this paragraph shall be demand to give any right of reply on an amendment, except in the case of amendments proposed to bills and in the case of motions relating to supplies."

श्री गोपीलाल यादव—That is clear.

श्री अध्यक्ष—All right.

श्री गोपीलाल यादव—यह ठीक है । माननीय अध्यक्ष, माननीय मित्र, सुखाड़ियाजी ने जो जवाब दिया है वह करीब करीब वैसा ही है जैसा कि उन्होंने रेंट रेगुलेटिंग (बिल) पर दिया

[श्री गोपीलाल यादव]

था कि भरतपुर में २ आना बीघा लगान देने को है। मैं मेरे माननीय मित्र, मन्त्रीजी को चैलेन्ज कर सकता हूँ कि जितनी माफी की जमीन है वहाँ ६ पैसे, २ आना, ३ आना से ज्यादा मिल रहा है, वहाँ सारे माफीदारों को ४ आने से ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि मेरे मित्र उस इलाके को देखते नहीं है। माननीय मन्त्रियों के जो दौरे होते हैं वे उन्हीं इलाकों में होते हैं जहाँ के कि वे रहने वाले हैं; दूसरी जगहों में जाते नहीं और अगर जाते भी हैं तो वहाँ का रेकार्ड देखते नहीं, उन्हें अपनी पार्टी के लोगों से ही मिलने से फुर्सत नहीं मिलती इसलिए उन्हें असलियत का पता नहीं। आज के अमेन्डमेंट पर वे कहते हैं कि वे यह नहीं करना चाहते, ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते, जिससे किसानों पर बोझा बढ़े, एक तिहाई एक चौथाई रेंट जो जागीरदार लेना चाहते हैं उसके लिए यह किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष, इसके लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ऐसा कहना वास्तविकता से कहीं दूर है। जब वन सिक्स्थ (one sixth) का कानून पास हो चुका तो इसके खिलाफ जागीरदारों ने रिट पेश किया, उनका यह रिट खारिज हो गया। वन सिक्स्थ पर तो गवर्नमेन्ट अब भी लगान मुकर्रर कर रही है। जागीरदारों का रिट कामयाब हो जाय और वे एक तिहाई, एक चौथाई लेते थे वही न लगायें, इसलिए यह कानून लगाया जा रहा है, यह जो कहा यह बिल्कुल धोखा देने की बात है।

वास्तविकता इसकी यह है कि जागीरदारों की जगह पर अब गवर्नमेन्ट होना चाहती है, मुख्य चीज यह है। मैं चाहता था कि कम से कम १० दिन इस बिल पर बहस में लगेंगे। कल बोलने का मौका होता तो उस तरफ से भी लोग बोलते पर उनका रातों-रात गला घोंट दिया गया। किसानों के प्रति, जिनके दिलों में दर्द है वे सदस्य उधर अपना दिल मसोस कर बैठे हैं।

मैं यह कहता हूँ कि कोई हिसाब से लगाइये। आप कहते हैं कि ग्रोस प्रोड्यूस का वन सिक्स्थ (one sixth) लगे। आप किसानों से $\frac{1}{6}$ बांटा चाह रहे हैं और वह भी $\frac{1}{6}$ ग्रोस का लेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इतना होते हुए भी आपने एक सेक्शन यह रखा है कि १९५२ से पहले $\frac{1}{3}$ जहाँ पर होगा वहाँ $\frac{1}{3}$ रहेगा। सन् १९५२ में जब एसम्बली आई तो सरकार ने किसानों के हित के लिए $\frac{1}{6}$ बांटा किया, मगर गवर्नमेंट ने यह सोचा कि जब जागीरदार जो उस वक्त तक $\frac{1}{3}$ बांटा ले रहे थे उनको लेने का अधिकार था तो हम भी क्यों न लें, अब हमें $\frac{1}{3}$ बांटा लेने का अधिकार है तथा जब जागीरदार लेते थे तो हमें भी लेना चाहिये। लेकिन सरकार ने यह नहीं सोचा कि जागीरदार लेते थे, उनको तो हमने खत्म कर दिया और जो कुछ किसानों से लेना था वह जागीरदार लोग ले चुके; अब हमें क्यों लेना चाहिये? आप उसका भी ५२ से अगले बन्दोबस्त तक भोग लगाना चाहते हैं। अगला बन्दोबस्त आपका खत्म होने का नहीं, अगर यही नीति रही तो। जागीरदारी खत्म हो गई और गवर्नमेंट ने उसकी जगह ले ली है; मगर गवर्नमेंट यह चाहती है कि $\frac{1}{3}$ बांटा ले और सन् ५४-५५, ६०-७० और ८० तक लेते रहे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इससे ज्यादा अन्याय की चीज कोई क्या होगी? इससे ज्यादा आप किसानों पर क्या अन्याय कर सकते हैं?

इसके बाद मैं यह निवेदन करूँगा कि आगे और पीछे $\frac{1}{6}$ बांटा दिखाई दे रहा है; आप कहते हैं कि पहले जहाँ पर $\frac{1}{3}$ बांटा लिया जाता था और जहाँ की लटाई $\frac{1}{3}$ के हिसाब से हो चुकी है

[श्री गोपीलाल यादव]

तो वहाँ पर १/४ के हिसाब को १/६ के हिसाब में आप चेन्ज नहीं कर सकते। आपको चाहिये तो यह था कि उसे भी १/६ में चेन्ज कर देते। कहा यह जाता है कि पहले वहाँ सेटलमेंट हुआ। जहाँ ५२ के बाद हुआ है, वहाँ पर १/६ बांटा रहेगा और जहाँ सन् १९५२ से पहले हुआ वहाँ १/८ होगा। इस प्रकार के किसानों को राहत देने और दिलाने वालों के दिलों को मैं धन्यवाद देता हूँ और साथ का साथ यह भी कह देना चाहता हूँ कि उनका दिल कोमल से कोमल भी है, तो कड़े से कड़े पत्थर के समान होगा। उनका कोमल दिल भी पत्थर जैसा नर्म होगा।

माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि दूसरी तरफ बैठने वाले किसानों के प्रतिनिधि इस पर पूरी तरह से फिर एक बार विचार करें; और खास तौर से वे मित्र जो अपने आपको किसानों के नुमायन्दे समझते हैं। आप देखेंगे, मानलें कि एक किसान के पास ३० बीघा जमीन है, वह उस जमीन में खेती करता है। उस जमीन में ९०० रुपये की पैदावार साल भर में होती है। उसका १/६ हिस्सा आप उससे ले लेते हैं। उसका १/६ हिस्सा लेने का मतलब यह हुआ कि आप उस किसान से १५० रुपये ले लेते हैं लगान के। आपने उस किसान से १५० रुपये लगान के वसूल किये। अब आप, इन्कम टैक्स की रेट्स क्या हैं उनको देखिये। मगर उन पर हमने नहीं सोचा। इन्कम टैक्स में जहाँ हम रुपये पर कुछ ही पाई तो लेते हैं और यहाँ किसान से उसकी ग्रोस प्रोड्यूस का १/६ हिस्सा लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसानों के पास बचत नहीं होती। बचत इसलिए होती है जो हमको दिखाई देती है कि वह हमारी तरह रहता नहीं। वह नंगा रहता है, उसके बच्चे नंगे रहते हैं। जब तक आप किसान को अपनी तरह का न बना दें, आपको हक ही क्या रह जाता है कि उससे आप इस प्रकार का लगान लेकर लूटें? आपको उसे लूटने का क्या अधिकार है? आप यह समझ कर कि आपकी माली हालत कमजोर है उसको ठीक करने के लिए किसानों को लूट रहे हैं, आप उस कमी को किसानों की लूट से पूरा करना चाहते हैं। अगर आप उसे उनकी लूट से पूरी कर सकते हैं तो उन्हें लूट लीजिये। आप सब कुछ कर सकते हैं। मगर मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आज एक भी उधर बैठने वालों में किसानों का सच्चा नुमायन्दा होता तो यह बिल पास नहीं हो सकता था। मत्स्य गवर्नमेंट के समय में सवाय का दूना सरकार ने लेना पास कर दिया और यह कह दिया कि सवाय का दूना किसानों से लिया जावेगा। मगर उस समय मैंने कहा कि किसानों का नुमायन्दा मैं हूँ; जब तक मैं यहाँ पर हूँ यह हो नहीं सकता, सारे किसान बगावत करेंगे और मैं भी उनके साथ बगावत करूँगा। काँग्रेस के मन्त्रियों और चीफ मिनिस्टर के मकान पर धरना दिया गया और कहा कि यह लागू नहीं किया जा सकता; आखिर सवाय का दूना लेना रुक गया। आप भी उनके नुमायन्दे हैं और आप भी वही काम कर सकते हैं। आज किसानों के हित करने वाले किसानों पर बज्र-प्रहार कर रहे हैं, इसलिए आपको चाहिये कि उनका मुकाबला डट कर करें। अगर आप उनका मुकाबला नहीं करेंगे तो मैं यह कहूँगा कि राजस्थान का किसान इस बोझ को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा और वह वही लागें-बागें देगा जो आपके शहर के रहने वाले लोग देते हैं; चाहे आप उनको कुचल ही क्यों न डालें। यह आपकी मर्जी है। (घण्टी)

श्री अध्यक्ष—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री ईश्वरीसिंह—(बोलने के लिए खड़े हुए) माकी बारीं है !

श्री अध्यक्ष—थांकी बारी कोनै । सीख कर फिर बोलें ।

प्रश्न यह है कि संशोधन, जो श्री गोपीलाल ने क्लॉज़ ३ में रखा है उसे मन्जूर किया जावे ।

श्री गोपीलाल यादव—यह पढ़ कर सुना दिया जावे तो ठीक होगा ।

श्री अध्यक्ष—सब के पास इसकी कॉपी है ।

(मतदान के पश्चात्)

संशोधन गिर गया ।

श्री गोपीलाल यादव—मैं समझता हूँ कि उधर से चार आदमी ही बोले हैं ।

श्री अध्यक्ष—भ्रम हो तो डिवीजन करा लें ।

(स्वीकृत)

संशोधन गिर गया ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ३ को स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

खण्ड ३ अङ्ग रूप से स्वीकार किया गया ।

श्री गोपीलाल यादव—एक भी किसानों के प्रतिनिधि ने 'हाँ' नहीं कहा, फिर भी किसानों के प्रतिनिधि बने बैठे हैं ।

श्री अध्यक्ष—खण्ड ४, श्री भैरूँसिंह । (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ और ५ स्वीकार किये जाँय ।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ और ५ अङ्ग रूप से स्वीकृत हुए ।

(विराम)

खण्ड १ और टाइटल तथा प्रीएम्बल बिल में जोड़े जावें ।

(स्वीकृत)

खण्ड १ और टाइटल तथा प्रीएम्बल बिल में अङ्ग रूप से स्वीकार किये गये ।

Page No.27

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—Sir, I beg to move that the Rajasthan Rent Rates Determination and Validation Bill, 1954 be passed.

श्री अध्यक्ष—Motion moved...

श्री गोपीलाल यादव—यह तीसरी रीडिंग है। इस पर बोलने का अवसर दिया जावे। शायद लोगों के दिल अब भी बदल जावें और उन्हें अक्लि आ जावे। मैं समझता हूँ कि यह हमारा अधिकार है। अभी ईश्वरीसिंहजी भी बोलने के लिए खड़े हुए थे, मगर नहीं बोल सके। वे भी बोलना चाहते थे। अब इस तीसरी रीडिंग में वे बोलना चाहें तो बोलने दें। [श्री यादव ने श्री ईश्वरीसिंहजी को बोलने के लिए संकेत किया)।

श्री अध्यक्ष—(श्री यादव से) Order ! The Hon'ble Member will not instigate other Members.

श्री गोपीलाल यादव—मैं भी इस पर बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—The question is that the Bill be passed.

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

श्री गोपीलाल यादव—ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि थर्ड रीडिंग पर बोलने का हमारा अधिकार है। मगर हमें बोलने की इजाजत नहीं दी गई, क्या यह उचित किया गया है ? इस पर मैं रूलिंग चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—आपको बोलने का मौका दे दिया गया था। आपके जो संशोधन थे उनको पेश करने का भी मौका दे दिया गया था। सारी की सारी धाराएँ पास कर दी गई थीं और प्रश्न भी पूछ लिये गये थे। आप खुद नहीं बोलना चाहते थे, किन्तु दूसरे मेम्बर्स को उकसा कर बुलवाना चाहते थे जो कि एक माननीय सदस्य को ऐसा नहीं करना चाहिये था। अतः जब ऐसी चीज़ है तो माननीय सदस्य को आगे बोलने का आग्रह नहीं करना चाहिये। जब बिल की हर एक धारा को पास कर दिया गया है तो फिर कोई सैद्धान्तिक प्रश्न नहीं रहता। मैं समझता हूँ कि आप उसके लिए अब आग्रह नहीं करेंगे।

नेक्स्ट, श्री रामकरण जोशी।

म्युनिसिपल टेक्सेज़ वैधकरण विधेयक, १९५४

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि म्युनिसिपल टेक्सेज वेलिडेशन बिल, ५४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि म्युनिसिपल टेक्सेज़ वेलिडेशन बिल, १६५४ को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

बिल को विचारार्थ लिया जाता है ।

(विराम)

Amendment motion to be moved by Shri H. K. Vyas.

श्री हरिकृष्ण व्यास—[At the end of the clause add the following : "but shall not include Octroi Duty."

माननीय अध्यक्ष, I take the amendment as moved. मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि इस क्लॉज़ २ में म्युनिसिपल टेक्सेज़ को जो परिभाषा की गई है उस परिभाषा में ऑक्ट्रॉय ड्यूटी को इन्क्ल्यूड न किया जाय, ऐसा स्पष्ट इस बिल में दर्ज कर दिया जाय । यदि हम इस बिल के उद्देश्य को गौर से पढ़ें तो यह पता चलेगा कि भूतपूर्व जोधपुर रियासत में उस समय के हिज़ हाईनेस के अधिकार और आज्ञा के अधिकार का प्रयोग करके कई जगह म्युनिसिपल टेक्स लगाये गये हैं या लगाये जा रहे हैं और अब इस बिल के जरिये से अब तक जो कर लिया गया और जिसके कानूनी होने के बारे में शंकायें उठ चुकीं उसको कानूनी जामा पहिनाने का प्रयत्न किया जा रहा है और साथ ही साथ आगे आने वाले समय में यह अधिकार भी म्युनिसिपल कमेटीज़ को दिया जा रहा है कि वे अब नये सिरे से टेक्स लगाने की कार्यवाही करना चाहें तो कर सकें । मेरे अमेन्डमेंट में मैंने यह माँग की है कि यदि इस प्रकार का कदम उठाया जा रहा है तो कम से कम ऑक्ट्रोय ड्यूटी के सिलसिले में तो, ऐसा बगैर विचार किये और तसल्ली किये, ऐसे अधिकार म्युनिसिपल कमेटीज़ को नहीं दिये जाने चाहिए और इस सम्बन्ध में मैं तीन मुख्य कारण सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा ।

पहला कारण तो यह है माननीय अध्यक्ष, कि जयपुर में यह प्रश्न पिछले सितम्बर के महीने में बहुत तेजी से आया था । सितम्बर की १ तारीख से जयपुर में ऑक्ट्रोय ड्युटी लागू की गई और फिर सितम्बर की १३ तारीख को एक गजट राजस्थान सरकार ने निकाला, जिस गजट में यह कहा गया, उस सरकारी विज्ञप्ति में यह कहा गया कि सारे के सारे ऑक्ट्रोय ड्युटी के प्रश्न को "The whole question of Octroi Duty in Jaipur City" एक समिति के विचारार्थ सरकार प्रस्तुत करती है और उस समिति की रिप्लाई आने के बाद सरकार उस पर अपना निर्णय देगी; इस बीच में इस चुंगी-कर की वसूली स्थगित की जाती है । मेरा तात्पर्य यह है कि चाहे इसका कैसा भी इन्टरप्रिटेशन आज लगाया जाय, तो भी एक बात तो निश्चित है और वह यह है कि जहाँ चाहेंगे कर लगा सकते थे । जिस चुंगी कर की मन्जूरी राजस्थान सरकार दे चुकी थी, उसके बाद सरकार ने फिर उस प्रश्न पर विचार किया और वह इस नतीजे पर पहुँची कि हमें इसकी फिर

Page No.29

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

से जाँच करवा लेनी चाहिए। यदि सरकार इस नतीजे पर पहुँच चुकी है, जयपुर शहर के सिलसिले में पहुँच चुकी है, तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि फिर उस नतीजे को दूसरे शहरों के लिए भी लागू क्यों नहीं किया जा रहा है ? वह जो समझ सरकार को आयी उस समझ से बाकी के इलाकों के लिए क्यों नहीं फायदा उठाया जा रहा है और यदि यह आवश्यक समझा सरकार ने कि जयपुर शहर के ओक्ट्राय का प्रश्न एक कमेटी के सुपुर्द किया जाय और कमेटी की जाँच होने तक ऑक्ट्रोय ड्यूटी लगाने का विचार स्थगित किया जाय तो फिर मुझे यह समझ में नहीं आता है कि और म्युनिसिपेलीटीज के लिए सरकार इसी प्रकार का कदम क्यों नहीं उठाना चाहती ? बल्कि न सिर्फ ऐसा कदम सरकार उठाने के लिए तैयार नहीं है, किन्तु उसने पहले इमरजेन्सी ऑर्डिनेन्स के जरिये और फिर लेजिस्लेशन के जरिये वह म्युनिसिपेलीटीज़ को अधिकार देने का प्रयत्न कर रही है जो कि गैर वाजिब बात होगी। यदि यह समझा जाय कि जयपुर की परिस्थिति कुछ विशेष है तो आपकी अनुमति से माननीय अध्यक्ष, सरकार के ध्यान में यह बातलाऊं कि आप आज उसी प्रकार का और नगरों को भी जयपुर का अनुकरण करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। यदि एक जगह सरकार एक नीति बरतती है और दूसरी जगह दूसरी बरतती है तो उसका तात्पर्य यह होगा कि यह डिस्क्रिमीनेशन है और इतना ही नहीं अपने अनुभव से ही सरकार ने जो सबक सीखा है, दूसरे नगरों को उससे वंचित रखा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष, यह पहला कारण है ।

दूसरा मेरा कारण इस अमेन्डमेंट को प्रस्तुत करने का यह है कि मुझे नहीं मालूम है कि इस प्रकार के बिल को पेश करने से पहले टेक्सेशन के सिलसिले में, टेक्सेशन के ढाँचे के सिलसिले में और कौन से टेक्स किस हद तक लगाना वाजिब है अथवा वाजिब नहीं है, इस बारे में सरकार ने क्या ध्यान दिया ? अलबत्ता भारत सरकार ने इस सिलसिले में एक कमीशन मुकर्रर किया है और यह भी सही है माननीय अध्यक्ष, कि उस कमीशन ने अपने क्वश्चेनायर (questionaire) में यह प्रश्न उपस्थित किया है कि इस प्रकार के टेक्स, इनडाइरेक्ट टेक्स लगाये जावें, वे उचित हैं अथवा अनुचित हैं। और यह भी सही है, माननीय अध्यक्ष, कि इस प्रश्न पर न सिर्फ राजस्थान सरकार के अधिकारियों से बल्कि अनेक म्युनिसिपल कमेटियां के अधिकारियों से जयपुर के अन्दर कमीशन की बातचीत हुई है और यह भी सही है कि राजस्थान की कई संस्थाओं ने इस प्रश्न पर टेक्सेशन कमीशन के सामने अपनी राय और योजना पेश की है।

अभी तक टेक्सेशन कमीशन ने इस सवाल पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की और मैं यह अर्ज करूँगा कि कम से कम भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये इतने ऊंचे दर्जे के कमीशन की रिपोर्ट तक की तो राह देख ली जाती तो बेहतर होता और फिर उसके बाद हम तय कर पाते, राजस्थान सरकार वास्तविक रूप में तय कर पाती कि किस प्रकार के कर लगने चाहिये; फिर कर लगाये जाते, कर लगाये जाने के अधिकार देना ठीक है या नहीं यह सब तय हो जाता। दूसरा कारण जो प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह यह कि इस सिलसिले में कमीशन मुकर्रर जो किया गया है उसकी रिपोर्ट आने तक इस बिल को रोक लिया जाय।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तीसरा कारण मैं जो अर्ज करूँगा माननीय अध्यक्ष, वह यह है कि अब तक जितनी भी जाँच करवाई गई और जब कभी भी यह प्रश्न सरकार ने जिस किसी कमेटी के अधीन जाँच करवाने के लिए दिया, जिनकी दो रिपोर्टें आज तक मौजूद हैं, जिन्होंने इस ऑक्ट्रोय ड्यूटी के प्रश्न को लेकर अपनी राय प्रस्तुत कर दी है। मैं विशेष तौर पर सदन का, आपके जरिये ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस बात की ओर कि उनमें से एक रिपोर्ट उस जमाने में आया हुई है जिस जमाने में अंग्रेजी हुकूमत का शासन था और वर्तमान मन्त्री, पदों को सुशोभित करने वाले मन्त्री, उस शासन के खिलाफ सारे देश के साथ मिलकर लड़ रहे थे, विरोध कर रहे थे। उस दकियानूसी शासन में भी मुकर्रर कमेटी ने जो निर्णय दिया है वह सन् १९२६ के अन्दर दिया है, जो इस प्रकार है :—

"The Octroi duty is an out-moded form of indirect tax; it is a tax reminiscent of feudalism, it is a tax which should not be invoked by modern State"

यह निर्णय सन् १९२६ में दिया गया था। उसके बाद प्रगतिशील हकूमत और कल्याणकारी राज्य सन् २६ के इतने अरसे के बाद आज यह निर्णय कर रहे हैं। जिस चीज को सन् २६ में अंग्रेजी सरकार के मातहत कुछ अफसरों ने और भारत की कुछ लीगल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसे ऐसा करार दे दिया फिर भी आज जो सरकार अपने आपको प्रगतिशील कहती है उस जमाने में इस टैक्स को लगाना कहाँ तक आवश्यक है? इस टैक्स को इस प्रकार के लोगों पर थोपना और म्युनिसिपल कमेटियों को इस प्रकार के अधिकार देना, टैक्स लगाने का अनावश्यक अधिकार है। इन्हीं दो कारणों की वजह से मैंने यह अमेन्डमेंट रखा है कि ऑक्ट्रोय ड्यूटी को म्युनिसिपल टैक्स की परिभाषा में न लिया जाय और ऐसी स्थिति में इस क्लाज़ को (संशोधनानुसार) दर्ज कर दिया जाय।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—माननीय अध्यक्षजी, यह जो अमेन्डमेंट पेश किया गया है और जो वजुहात बताये गये हैं वे वजुहात उपस्थित नहीं हैं। अगर मेरे माननीय मित्र ने इस बिल को पढ़ा होता तो उनके समझ में आ गया होता। आज हम म्युनिसिपैलिटियों को कोई नये अधिकार नहीं देने जा रहे हैं टैक्स लगाने के। यह तो उनके अधिकार की बात है। जब से म्युनिसिपैलिटीयां पैदा हुई हैं तभी से उनका उपभोग करती चली आ रही हैं। जब भी कभी म्युनिसिपैलिटी के टैक्सेशन का सवाल आता है तो मेरे कुछ मित्र जयपुर की नज़ीर देते हैं। ऑक्ट्रोय के खिलाफ जो कुछ यहाँ हुआ वह मान्य हो गया हो, इस तरह की बातें कहते हैं। यह भी कहा जाता है कि वह दकियानूसी सरकार थी। फिर हमको यह भी कहा जाता है कि सरकार के विचारों पर अमल भी करना चाहिये। मैं नहीं समझता कि सन् १९२६ में जो फैसला किया गया था उस पर अमल करने को बाध्य होंगे, यह तो माननीय मित्र के सोचने की बात है कि यह वहाँ तक लागू होती है।

म्युनिसिपैलिटी को नये अधिकार देने की बिल में कोई बात नहीं। जो भी टैक्स अभी भी म्युनिसिपैलिटी वसूल करती रही है वहाँ के शासकों के आदेश से, वे टैक्स अब भी वसूल करती रही

[श्री रामकरण जोशी]

है; इसी फोर्म में यह बिल सदन के सामने उपस्थित है। मैं इस पर ज्यादा लम्बी-चौड़ी बहस कर सदन का समय लेना नहीं चाहता। जो म्युनिसिपैलिटियाँ जिस आमदनी के पीछे चल रही हैं, जिस आमदनी के बिना अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकतीं, उसके लिये मैं यह समझ रहा था, कोई भी एतराज नहीं लायेंगे।

टैक्सेशन पर ही म्युनिसिपैलिटी की जिन्दगी निर्भर करती है, फिर भी हम आज इस बिल के जरिये किसी म्युनिसिपैलिटी को नये अधिकार नहीं दे रहे हैं। जब कभी भी इस तरह के टैक्स की बातें आती हैं तो माननीय मित्र इन टैक्सों का विरोध करके सदन का समय बरबाद करते हैं; ऑक्ट्रोय आउट मोडेड है। राजस्थान के अन्दर ९५ प्रतिशत म्युनिसिपैलिटियाँ केवल ऑक्ट्रोय के आधार पर ही जीवित हैं इसलिये वे आउट मोडेड नहीं हो सकतीं; प्रेक्टिस में हैं।

दूसरी बात यह बतायी गयी कि इस ऑक्ट्रोय को अलग निकाल लें तो इसका मतलब यह होगा कि टाउन म्युनिसिपैलिटी एक्ट जो सदन के सामने आ रहा है उसमें भी फिर यही पोइन्ट आयगा। यह तो अभी चलू आचरण में है उन्हीं को मेन्डेट करते हैं। मैं समझता हूँ कि जिन माननीय सदस्यों ने तरमीम रखी थी उनकी इच्छा बोलने की थी; वे बोल लिये हैं। अतः उनको चाहिये कि वे अपने संशोधन को वापिस ले लें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये मेरे माननीय मित्र को सूचित कर दूँ कि मुझे बोलने के लिए बहुत मौके हैं। उधर से बोलने वालों को कभी-कभी काले झण्डों से स्वागत देखने को मिलते हैं।

मुख्य मुद्दे की बात मेरे माननीय मित्र जो कहना भूल गये वह यह कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया द्वारा जो टैक्सेशन कमीशन नियुक्त हुआ था उसकी रिपोर्ट आने तक, मैंने कहा; यह टैक्स मन्सूख रखा जाय। उसके सम्बन्ध में वे कुछ भी कह न सके। लेकिन उन्होंने मुख्य बात यह कही कि दकियानूसी सरकार की राय को हम कैसे मान सकते हैं। जो ऐतराज किया गया कि हम दकियानूसी सरकार की राय को कैसे मना सकते हैं, अगर यह दलील नहीं दी जाती तो मैं सदन का समय नहीं लेता। लेकिन मुझे सख्त अफसोस है कि जिस प्रकार आम लोगों की आवाज सुनते-सुनते अगर इस दकियानूसी सरकार को मजबूर होकर किसी बात को मानना पड़ा तो अपने आप प्रगतिशील कहलाने वाली सरकार उससे आगे बढ़कर अगर इसको अपनाती तो उनका यह सराहनीय कदम होता। इसलिये मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूँगा कि केवल टेक्निकल दृष्टि से देखा जाय कि यह टैक्स सही है या नहीं। "आउट मोडेड" का मतलब यह नहीं कि "आउट ऑफ डेट" हो, "आउट मोडेड" का तात्पर्य यह नहीं कि पुराने जमाने में जो कोई टैक्सेज हों वैसे ही मौजूदा प्रगतिशील जमाने में लागू करना आवश्यक नहीं। कस्टम के बारे में जैसा पाँच साल तक और चलेंगे आगे नहीं। जो माननीय मन्त्री ने दो बातों का जिक्र किया वह असन्तोषपूर्ण है इसलिये मैं अपने संशोधन को सदन की राय के लिए उपस्थित करता हूँ।

Page No.32

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन का प्रस्ताव खण्ड २ में श्री हरिकृष्ण व्यास ने जो रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड दो को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड २ विधेयक में अङ्ग रूप से स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड ३, श्री हरिकृष्ण व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—[Sub-clause (1)—

Add the following proviso at the end of it—

"Provided that for any further continuance of such municipal tax, it shall be necessary for the respective municipalities to invite and consider public objections to such tax and obtain Government sanction as provided for imposition of new taxes, and that unless such procedure is complete, it shall not be valid for such municipalities to continue the levy or collection of such taxes after April 30, 1954."]

माननीय अध्यक्ष, यह मेरा एमेंडमेंट बहुत सिम्पल है और वह सिर्फ यह है कि पुराने टैक्स जो लगे हुए हैं उनको कन्टीन्यु करने का अधिकार दिया जा रहा है तो इसीलिए इस पर कम से कम इतनी पाबन्दी जरूर लगा दी जाय कि नये टैक्स के सिलसिले में जो प्रोसीज़र है वह प्रोसीज़र वहाँ की नगरपालिकाओं पर लागू करने के लिए कह दिया जाय, यानि लोगों की राय जावें पब्लिक ओपिनियन लें और फिर उन सुझावों को कन्सीडर करें, फिर सरकार को मन्जूरी के लिए भेजा जाय और यह सब कार्यवाही हो जाय तो लगा दें। इस अमेंडमेंट के जरिये मेरी मन्शा यह है कि अभी जो म्युनिसिपल एक्ट है उसमें जो धारा मन्जूर हो चुकी है वैसा ही प्रोसीज़र इन म्युनिसिपैलिटियों को अपनाने के लिए सरकार मजबूर कर दे तो इसलिए जहाँ यह कहा गया है कि पुराने लगे हुए टैक्सेज़ अब चालू रह पायेंगे, उसमें एक प्रोवीज़ो जोड़ दिया है। मेरा खयाल है, माननीय अध्यक्ष, कि इतना बड़ा अधिकार देते समय कम से कम जो प्रोसीज़र मुकर्रर है वह प्रोसीज़र तो अपनायेंगे ही, ऐसा बन्धन उन पर अवश्य रहना चाहिए और इसी आशय से मैं मेरा यह एमेंडमेंट सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ और कुछ हद तक माननीय मन्त्री महोदय के मानने के लिए भी प्रस्तुत करता हूँ।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं यह समझता हूँ कि इसको पढ़कर ऐसा मालूम हुआ कि जो कुछ भी हम वेलिडेशन करने जा रहे हैं वह हमारे नहीं करने के बराबर है। यह तो आज भी अख्त्यार है हमारी स्वायत्त संस्थाओं को कि किसी भी टैक्स को लगाना चाहती है तो उसको लगाने के लिए लोगों की राय ले। उसकी फोर्मेलिटीज़ को पूरी करके जो भी टैक्सेज़ चाहें, तो लगा सकती हैं। पुराने टेक्सेज़ को जारी रखने के लिए अगर यह आवश्यक हो, फॉर्मेलिटीज़ ओबज़र्व (observe) करने की जरूरत पड़ती है तो फिर उसके वेलीडेशन की जरूरत नहीं रहती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को बोलना था, इसलिए बोल लिये। वेलीडेशन से पुराने टेक्सेज़ को कायम करने जा रहे हैं तो वे दूसरी तरफ नये टेक्सेज़ के समान प्रोसीज़र करने का प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। दोनों साथ-साथ नहीं चल सकते हैं। इसलिए मेरे साथी समझ गए होंगे कि वह गलत है; इसको वापिस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन इस खण्ड ३ में श्री हरिकृष्ण व्यास ने रखा है उसको स्वीकार कर लिया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन का प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ को स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड ३ विधेयक में अंगरूप से स्वीकार किया गया।

(विराम)

खण्ड ४ तथा ५

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ४ और ५ स्वीकार किये जाँय।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ और ५ विधेयक में अंगरूप से स्वीकार किये गये।

(विराम)

खण्ड १ तथा प्रिएम्बल व टाइटल।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रिएम्बल तथा टाइटल स्वीकार किये जाँय।

(स्वीकृत)

खण्ड १ और प्रिएम्बल तथा टाइटल विधेयक में अंगरूप से स्वीकार किये गये।

Page No.34

श्री रामकरण जोशी—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि म्युनिसिपल टेक्सेज़ वेलीडेशन बिल १६५४ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि इस बिल को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

बिल पारित हुआ।

पब्लिक डेट एक्ट, १६४४-सम्बन्धी शासकीय संकल्प

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—Mr, Speaker, Sri, I beg to move, "That this House considers it desirable that the public Debt Act, 1944 and the Rules made thereunder be extended by parliament to the Rajasthan State"

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

श्री टीकाराम पालीवाल—Sir, I move that......

श्री अध्यक्ष—If the Hon'ble Member wants to say something to explain......

श्री टीकाराम पालीवाल—I have nothing in particular to explain. The motion is very clear. I do not think it requires any explanation or elucidation.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—It may be, Sir, that some Members may not have read this Bill. They might be enlightened on this......

श्री टीकाराम पालीवाल—I do expect the Hon'ble Members to read them.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—I said, Sir, "may be".

श्री टीकाराम पालीवाल—It is a very old Act and I presume all of them might have read it.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—If you are not well, then that is another thing. otherwise we expect you to explain it. If you are not well, then of course we will not give you the trouble; otherwise what are the implications of this ?

श्री टीकाराम पालीवाल—The implications are so clear and the law has been in force in other States for such a long time, that I really do not consider it necessary to explain it.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, मुझे २-३ बातें समझ में नहीं आई । पहली तो यह बात समझ में नहीं आयी कि यह एक्ट तो वैसे ४४ में पास हो गया, लागू हो गया सन् ४४ में, लेकिन वह पार्ट 'ए' स्टेट पर लागू था उस समय तो यह समझा जा सकता है पार्ट 'बी' स्टेट में लागू क्यों नहीं किया गया, लेकिन फिर सन् ५० में विधान लागू हो गया और सन् ५० से आज तक करीब २-४ साल से ऊपर हो गया, तब तक अधिकार है पालियामेंट को उसे एक्स्टेंड कर देने का खुद पार्ट 'बी' स्टेट पर; वह क्यों नहीं किया गया ? क्या कारण है, समझ में नहीं आया ? उसके बाद दूसरी बात यह समझ में नहीं आई कि जो एक्ट भारत के इतने बड़े अंग पर लागू है उसके लिए इस सदन में विशेष प्रस्ताव के रूप में हमारे यहाँ पर लागू करायें, ऐसे मत लेने की क्या आवश्यकता है ? पार्लियामेंट के अधिकार की बात है और वह खुद कर सकती है अथवा वह इस सिलसिले में छोटा सा एमेंडमेंट प्रस्तुत करके उसको लागू कर सकती है । तो मैं यह चाहूँगा कि इसके पूरे इम्प्लीकेशन्स को समझाने के लिए माननीय मन्त्रीजी इसके बारे में कुछ सफाई दें, और अगर न दें तो इतना तो कह दें कि स्टेट्स मिनिस्ट्री का सक्युलर आया है और कहा है कि ऐसा प्रस्ताव पेश करें, इसलिए हमने यह प्रस्तुत किया है, तो वह काफी गिनी जायगी सफाई कुछ समय के लिए । अगर यह बात साफ हो जाय तो ठीक है ।

श्री टीकाराम पालीवाल (वित्त मन्त्री)—मैं यह समझ रहा था कि यदि कोई खास बात कही जायगी तो मैं उसका जवाब दूँगा, लेकिन कोई बात नहीं कही गई । केवल यह कहना कि वहाँ पर लागू नहीं था, यहाँ पर किस लिये लागू किया गया, यह कोई खास बात नहीं है । यहाँ इसकी जरूरत थी इसलिये लागू किया गया । यह अन्दाजा लगाना कि स्टेट मिनिस्ट्री से सर्कुलर आ गया, यह ठीक नहीं है । मैं समझता हूँ कि इससे सदन का समय व्यर्थ ही जायगा ।

श्री अध्यक्ष—(The question is, "That this House considers it desirable that the Public Debt Act, 1944, and the rules made thereunder be extended by Parliament to the Rajasthan State."

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

विधेयक से असम्बन्धित संशोधन पर वाद-विवाद

Now we can take the Rajasthan Protection of Tenants (Amendment) Bill.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, कल मैंने यह ओब्जेक्शन रेज़ किया था कि जो मोशन सदन के समक्ष पेश है वह केवल एक्सटेन्शन बिल है जब कि जो अमेन्डमेंट्स पेश किये गये हैं वे इन धाराओं से सम्बन्ध नहीं रखते हैं । यह पहले तय हो चुका था कि जो अमेन्डमेंट उन धाराओं से सम्बन्ध नहीं रखते हैं वे अमेन्डमेन्ट डिस्कशन के लिये अलाउ नहीं किये जा सकते । यह मेरा ओब्जेक्शन था, जिसको आज रूलिंग के लिये रिजर्व रखा गया था ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूँ कि जो दायरा संशोधन बिल का है उस ही के अन्दर उन धाराओं का या उस बिल का संशोधन आ सकता है। यदि वह उसके अतिरिक्त जाता है और स्कोप ऑफ दि बिल (scope of the Bill) के बाहर जाता है तो वह अवैध है। इसलिए क्लॉज ३ में नये इन्सर्शन (insertion) का जो अमेन्डमेन्ट दिया गया है मैं उसे बियोन्ड दी स्कोप ऑफ दी बिल (beyond the scope of the Bill) समझता हूँ। इस बिल पर कल बहस भी की गई।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—The question under discussion was...

श्री अध्यक्ष—A ruling has been given.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—The ruling applies to the...

श्री अध्यक्ष—I have given a ruling that anything beyond the scope of the amending Bill is **ultra vires** and no amendment can be moved,

श्री हरिकृष्ण व्यास—But if the amending Bill seeks to re-enact the legislation, then what would be considered the scope of the amending Bill ? As the present Bill seeks to extend the life by one year, it means that it re-enacts the entire legislation. Will it not, therefore, be considered, Sir, that the scope of this amendment is the entire Bill ?

श्री अध्यक्ष—No. If the Member is bringing any specific amendment, he is entitled to put in a separate amendment to the Bill, and that is only for the extension of the time. It does not entitle the Hon'ble Member to re-open the whole question.

राजस्थान कृषक संरक्षण (संशोधन) विधेयक, १९५४

So the question is that Clause 3 of Rajasthan Protection of Tenants (Amendment) Bill, 1954, be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 3 of the Amendment Bill is added to the Bill.

(विराम)

Clause 4 (विराम) There is another amendment to Section 15, which also meets the same fate.

The question is that Clause 4 of the Bill be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 4 is added to the Bill.

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

The qeustion is that clause 1 and the title be accepted.

(स्वीकृत)

Clause 1, and the title are added to the Bill.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—Mr. Speaker Sir, I bed to move that the Rajasthan (Protection of Tenants) Amendment Bill, 1954 be passed.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I want to speak.

श्री अध्यक्ष—I beg you pardon.

श्री हरिकृष्ण व्यास—In regard to the motion that has been moved, I want to speak.

श्री अध्यक्ष—Yes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह जो मोशन मूव किया गया है कि यह बिल पास किया जाय, दर असल में इस बारे में मुझे कुछ बातें और कहनी हैं। यदि पहले से यह मालूम पड़ता कि केवल इस बिल से मयाद बढ़ाने का सवाल सदन के सामने आयगा तो हमें कुछ कहने का मौका मिलता। लेकिन इस मौके पर भी बहस कुछ हद तक मौजू हो सकती है और वह यह है अध्यक्ष महोदय, कि सन् ४६ में यह ऑर्डिनेन्स लागू हुआ......

श्री अध्यक्ष—I want to let the Hon'ble Members of the House know that the scope of the discussion of the present Bill is only to give, to extend the life of this Bill. The discussion should only be confined whether it gives it consent to the present Bill; which means that it should be extended and that it should come in force from such and such date, and any other discussion on the scope of this amending Bill will not be needed at this stage.

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस सिलसिले में मैं अर्ज कर रहा था कि सन् १९४९ से यह ऑर्डिनेन्स अपने स्टेट में लागू है और उसने कुछ अनुभव भी हमको दिया है। जब हम फिर से उसको और कुछ समय के लिए लागू करने का फैसला देते हैं तो साथ-साथ यह भी फैसला देना उचित है कि इतने दिनों के अनुभव से हमने क्या पाया।

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस एक्ट का बहुत बड़ा फायदा लोगों को नहीं मिलता। एक तो देरी हो जाने की वजह से महीनों पेशियों पर फिरते रहते हैं, इस वजह से और फिर रेवेन्यू बोर्ड में तो इजेक्टमेंट के केसेज़ को दो-दो, तीन-तीन साल तक लग चुके हैं, ऐसे केसेज़ मौजूदा हैं। सेक्शन ७ के माफिक ऐसा रेकर्ड माननीय मन्त्री देखना चाहें तो मंगा कर देख सकते हैं। इस बात

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

का कोई अन्दाज अमेडिंग बिल में नहीं है। दूसरा प्रोवीजन बिल के बीच में जो दो बार और अमेंड कर दिया है; कुछ धारायें इसमें रखी गई, बाद में और कुछ धाराए थीं वे निकाल दी गई। तो दो बार अमेंड हुआ फिर से हमारे सामने आता है, दोनों बार ऑर्डिनेन्स से हुआ। हमने इसके तात्पर्य को समझा, इसमें फोलियो के बारे में, विधवाओं के बारे में, एग्ज़ेम्पशन्स (excumptions) दिये गये- उनका कोई खास उपयोग हुआ है। वह एक्ट के उद्देश्य को लागू करने में मददगार है या नहीं, इसके बारे में भी कोई सफाई नहीं है। इसलिए इन खामियों के रहते हुए भी, यह तो मेरी राय जरूर है कि इस बिल को पास किया जाय, इसकी अवधि बढ़ाई जाय; साथ ही अफसोस भी है कि इतने दिनों के अनुभव के निचोड़ का कोई उपयोग नहीं किया गया।

बस यही मैं सदन के सामने अर्ज करना चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि जो कुछ कहा गया वह इस मौजूदा बिल के खिलाफ तो कुछ नहीं कहा गया। कुछ कहना चाहिये, इसलिए कहा गया है। मैं समझता हूँ कि इतना ही कह कर मैं अपना जवाब खत्म करना चाहता हूँ। अनुभव से बढ़ाने की बात कही, इसके लिए मैं यही अर्ज करूँगा कि टिनेन्सी बिल जब दुबारा हम मिलेंगे तब सदन में आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान (प्रोटेक्शन ऑफ टिनेन्टस) अमेंडमेंट बिल, १६५४ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

(विराम)

नेक्स्ट, श्री जयनारायण व्यास।

राजस्थान तोल तथा नाप विधेयक, १६५४

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "दी राजस्थान वेट्स एण्ड मेज़र्स बिल, १६५४" प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। यह समिति अपना प्रतिवेदन दिनांक ३०-४-१६५४ तक प्रस्तुत करेगी। सके सम्बन्धित सदस्यों के नाम ये प्रस्तावित करता हूँ—

		वि० संख्या
१.	संबन्धित मन्त्री	
२.	श्री गुलाबचन्द कासलीवाल	
३.	एडवोकेट जनरल	
४.	श्री महादेव प्रसाद	६२
५.	श्री नारायणलाल	११०

Page No.39

[श्री जयनारायण व्यास]

६.	श्री ऋद्धिचन्द पालीवाल	१२९
७.	श्री भवानी सहाय	१५
८.	श्री रामनिवास मिर्धा	४१
९.	श्री मोतीराम	१०७
१०.	श्री रामलाल दंसीवाल	१२७
११.	श्री कवरलाल जेलिया	७०
१२.	श्री श्रीभानसिंह	१४१
१३.	श्री सन्तोषसिंह कछवाहा	१३६
१४.	श्री मुक्तिलाल मोदी	१०८
१५.	श्री तनसिंह	१४८
१६.	श्री कानसिंह	६६
१७.	श्री मोहब्बतसिंह	१००

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि "दी राजस्थान वेट्स एन्ड मेज़र्स बिल, १९५४" प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसके सदस्यों के नाम मुख्य मन्त्री महोदय ने बतलाये हैं। यह समिति अपना प्रतिवेदन ३० अप्रेल, १९५४ के पूर्व प्रस्तुत करेगी। क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान हुई।

राजस्थान सामान्य विक्रय कर विधेयक, १९५४

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मन्त्री)—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान जनरल सेल्स टैक्स बिल प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। यह समिति अपना प्रतिवेदन ४ सप्ताह में प्रस्तुत करेगी :—

सदस्यों के नाम		विभाजन संख्या
१.	सम्बन्धित मन्त्री	
२.	एडवोकेट जनरल	
३.	श्री दुर्भलसिंह	४०
४.	श्री चुन्नीलाल बिड़ला	३१
५.	श्री रामकिशोर व्यास	१२६

[श्री भोलानाथ]

६.	श्री श्यामलाल गोयल	१४४
७.	श्री बृजसुन्दर शर्मा	२१८
८.	श्री मनफूलसिंह	६६
९.	श्री द्वारकादास पुरोहित	६२
१०.	श्री किस्तूरचन्द	७२
११.	श्री उदयलाल बर्दिया	१५५
१२.	श्री विश्वंभरनाथ जोशी	२१
१३.	श्री राधाकृष्ण मारू	११९
१४.	श्री रामनिवास मिर्धा	४१
१५.	श्री हंसराज आर्य	५१
१६.	श्री मंगलसिंह कछवाहा	९३
१७.	श्री शम्भूसिंह	१३९
१८.	श्री गोपीलाल यादव	४७
१९.	श्री मानसिंह महार	९७
२०.	श्री गणपतसिंह	४२
२१.	श्री भैरूँसिंह केलवा	१३
२२.	श्री देवीसिंह	३५
२३.	श्री शिवदानसिंह	१४०
२४.	श्री अवनिकुमार मुकर्जी	१
२५.	श्री गुलाबचन्द कासलीवाल	४८

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, क्या सदन की यह अनुमति है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरा एक अमेंडमेंट । I have to make an amendment. I had given notice of on amendment to this motion.

श्री अध्यक्ष—What is that !

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—In support of this, that instead of the Bill being referred to a Select Committee it should go for eliciting public opinion because the matter.. ..

Page No.41

श्री अध्यक्ष —Yes. There is an amendment motion on this Bill moved by Shri H. K. Vyas that the Bill be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, माननीय मन्त्री महोदय ने जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है मेरा उससे मतभेद है। उनकी यह राय है और वे सदन की अनुमति चाहते हैं कि यह जनरल सेल्स टेक्स बिल प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जायें, इसके विपरीत मेरी यह राय है माननीय अध्यक्ष, कि इसे प्रवर समिति को न भेजा जाय और इसे जनमत संग्रह करने के लिये सक्युलेट किया जाये।

तो अब सदन के लिये इस बात का निर्णय करने के लिये यह प्रस्तुत है कि इन दोनों में से कौनसा तरीका उसे अख्त्यार करना चाहिये। इस फैसले पर आने के लिये उसे उसूलन दो-तीन बातों पर गौर करना पड़ेगा।

सबसे बड़ी और महत्त्वपूर्ण बात इस बिल के सिलसिले में यह है कि इस बिल के जरिये मल्टीप्लाइड सेल्स टेक्स राजस्थान में लागू किया जा रहा है। यह माननीय अध्यक्ष, उसूल की बात है; यह कोई डिटेल की बात नहीं कि प्रवर समिति के सुपुर्द करके, उसकी राय लेकर फैसला करदें। यह इतनी अहमियत की बात है कि जिसका ताल्लुक राजस्थान की आर्थिक हालत से है, जिसका ताल्लुक दूसरी-दूसरी रियासतों में क्या कदम उठाया जा रहा है, इससे है और इसका ताल्लुक इन सब हालात को देखते हुए इस बात से है कि यदि राजस्थान में ऐसा कदम हम उठावें तो व्यावहारिकता से कहां तक लागू हो सकता है?

इन तीनों आधारों पर यह मुमकिन है कि राजस्थान के लोग इस कानून से सम्बन्ध रखने वाले अलग-अलग वर्ग इस नतीजे पर आवें और सरकार को भी इस नतीजे पर ले आवें; सरकार को नहीं तो कम से कम इस सदन को इस नतीजे पर ले आवें कि मल्टिप्लाइड सेल्स टेक्स न लगाया जावे, सिंगल पोइन्ट सेल्स टेक्स ही लगाया जावे। इस प्रकार से जनमत-संग्रह करने के जरिये से हम ज्यादा कानूनी तौर पर, व्यवहारिक तौर पर इसे बनाने में समर्थ हो सकें।

तो पहली तो उसूलन बात यह है कि इस प्रकार का बिल प्रवर समिति को देने से पहले, आया मल्टीप्लाई सेल्स टेक्स हो अथवा और किसी रूप से हो, इस प्रश्न पर कोई हल निकालें, इस बात पर जनमत संग्रह करना आवश्यक है।

दूसरा मेरा कारण माननीय अध्यक्ष, यह है कि इस बिल के प्रीएम्बल में कहा गया है कि सेल्स टेक्स आमदनी का एक अच्छा और मोजू साधन है और मैं समझता हूँ कि डेफिसिट बजट के समय अमूमन सभी सरकारें ऐसा ही किया करती हैं। राजस्थान का बजट भी डेफिसिट बजट ही है

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

और राजस्थान में डेवेलपमेंट आदि कामों व प्रशासनिक कार्यों के लिये पैसे की कमी रहती है, अतः इसे जारी किया जा रहा है। मगर मैं यह कहूँगा कि जिस प्रकार का उद्देश्य इस बिल के पास करने से है और जिन-जिन चीजों से यह ताल्लुक रखता है, जिन-जिन चीजों से आमदनी बढ़नी चाहिये, उसे नहीं बढ़ाया गया है। यह तो सभी को मालूम ही है कि राजस्थान में एक विशेष प्रकार का सेल्स टैक्स पहले से ही रायज है जिसको हम कस्टम ड्युटी कहते हैं, जो इन्टर स्टेट ड्यूटी के मातहत ली जा रही है। जब यह कस्टम टैक्स हमारे से लिया जाता है तब फिर यह नया टैक्स सेल टैक्स के नाम से कैसा ? इस टैक्स का असर उन चीजों पर भी पड़ेगा जिनका सीधा सम्बन्ध इससे नहीं है। इस सारे प्रश्न पर सरकार का क्या उत्तर है ? मैं समझता हूँ कि इसका सरकार के पास कोई उत्तर नहीं। मवेशियों आदि पर जो टेक्स लिया जाता है वह भी सिंगल पोइन्ट सेल टैक्स है। वह लगा रहेगा या नहीं। इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं। इसलिये मैं तो यह कहूँगा कि सरकार ने अपना जो मूड था उसे पूरी तरह से साफ नहीं बतलाया है कि इस सेल टैक्स से उनका क्या मूड है और जिस हद तक अपने मूड को साफ किया है उस हद तक मैं यह कहूँगा कि वह आम लोगों के समझ में अच्छी तरह से नहीं आ सकेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करूँगा कि सिलेक्ट कमेटी में भेजने से पहले इसे जनमत संग्रह के लिये भेजा जावे और शीघ्र ही जनमत का पता लगाया जावे कि जनता क्या चाहती है ? इसके अलावा मवेशियों पर जो एक्सपोर्ट ड्युटी कस्टम के मातहत लगी हुई है उसका क्या होगा ? क्या यह सेल टैक्स रॉ मेटीरियल; जैसे तिलहन, रूई आदि से भी सम्बन्ध रखता है या नहीं ? इसलिये इसको जनमत संग्रह के लिये भेजना बहुत जरूरी है।

तीसरी बात जो जनमत संग्रह के पक्ष में है और बहुत महत्वपूर्ण है वह यह है कि सरकार को इस बात का पता लगाना चाहिये कि राजस्थान में बिजनेस माइन्डेड एक्टीविटीज़ (business minded activities) किस तरफ ज्यादा हैं और बाहर की बिजनेस माइन्डेड एक्टिविटीज़ क्या हैं ? इन सब चीजों को देखकर ही टैक्स लगाना चाहिये, जिनमें टर्न ओवर (Turn over) ज्यादा हो उन पर क्या टैक्स लगना चाहिये ? ये सब बातें भी क्या टेक्नीकल बातें नहीं हैं ? ये बातें ऐसी हैं जिनका सम्बन्ध उन व्यक्तियों से, जो कानून की कलाबाजियों में प्रवीण हैं; नहीं है, इसका सम्बन्ध लोगों के जीवन से है। वह भी एक-दो व्यक्ति (के जीवन) से नहीं वरन् लाखों व्यक्तियों (के जीवन) से है। इसलिये इन पर फैसला करने से पहले यह भी आवश्यक है कि राजस्थान सरकार उनकी बात सुने। जनता में अलग-अलग विचारों के व्यक्तियों का अभाव नहीं है। वे सब लोग अपनी-अपनी राय देंगे। सदन में तो हम विरोधी पक्ष की बात ही सुनते हैं मगर जनता में सभी तरह के सदस्य होंगे। वहां हम स्वतन्त्र विचार वालों की बात सुनेंगे और उनकी राय जान सकेंगे। उनकी राय जानने के बाद ही, मैं यह कहूँगा कि, हम असूलन इन बातों के बारे में अपना फैसला करें तो ठीक होगा, वरना हम गलती करेंगे। हमें जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिये जिससे सरकार की आमदनी भी ज्यादा नहीं हो और लोगों पर कर का बोझ भी ज्यादा बढ़ता ही जाये। इस प्रकार के कानून बनने से भ्रष्टाचार को पनपने का फर्टाइल ग्राउन्ड मिलेगा। इसलिये यह ज्यादा बहतर होगा कि इसको पब्लिक ओपीनीयन के लिये भेजा जावे।

कुँ० श्री जसवन्तसिह--अध्यक्ष महोदय,अभी मेरे जोधपुर के एक माननीय मित्र ने जो बातें सेल टैक्स के सम्बन्ध में कही हैं उनका मैं अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इस प्रश्न के मेरिट पर इस वक्त जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्धान्तों पर कोई भी नहीं कह सकता है कि सेल टैक्स नहीं लगना चाहिये। यह सेल टैक्स कई स्थानों पर जैसे बम्बई, वेस्ट बंगाल आदि में लगा हुआ है। सिद्धान्तों के आधार पर तो यह नहीं कह सकते कि यह नहीं लगना चाहिये, लेकिन जब तक हमारी कस्टम ड्यूटी समाप्त नहीं कर दी जावे तब तक सिद्धान्तों पर भी यह सेल टैक्स लगाना खराब बात हो जाती है। इसके अलावा जहाँ-जहाँ सेल्स टैक्स लगा है वहाँ की राज-सभाओं में काफी बहस हो चुकी है और कई एमेन्डमेंट और दूसरी चीजें हो चुकी हैं। अगर इस स्टेज पर इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज देंगे तो इस पर इतना विचार नहीं होगा जितना होना जरूरी है। इसलिये जनमत के लिये इसका जाना बहुत जरूरी है। अगर सरकार को अपनी आदमनी बढ़ाने की फिक्र है तो मैं यह कहूँगा कि जितनी फिक्र आपको है उतनी ही फिक्र हमको भी है और हम आशा करते हैं कि हम भी सरकार का इसमें साथ देने में पीछे नहीं रहेगें। ऑपोजिशन अपनी राय दे, इसके पहले उसको यह देखना जरूरी है कि पब्लिक की भावना किस प्रकार है? यहाँ पर जो जनता के नुमायन्दे हैं वे १६० हैं और सेल टैक्स एक ऐसा विषय है जिस पर जनमत जानना बहुत जरूरी है। जब तक जनता की राय मालूम न हो जाय तब तक इस पर विचार प्रकट न करें। मैं माननीय सदस्य का अनुमोदन करता हुआ यह कहना चाहता हूँ कि इतने महत्वपूर्ण बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जावे, इससे पहले जनमत लेना बहुत आवश्यक है। इसमें कुछ देरी नहीं होगी। दो-तीन महीने या चार महीने जनमत जानने के लिये दे दिये जावें और इसे फौरन पास करने की चिन्ता है उसको मद्दे नज़र रख कर ५-६ महीनों के बाद में जब सितम्बर, अक्टूबर में सेशन दुबारा बुलाया जावे उस समय ले लिया जावे; नहीं तो जल्दी में जैसा कार्य हो जावेगा जिससे मुमकिन है, राजस्थान में शासन में गड़बड़ी तो चल ही रही है, जगह-जगह आन्दोलन हो ही रहे हैं, हम ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे जिससे बड़े पैमाने पर आन्दोलन होने की शंका है। यह शंका नहीं है कि पब्लिक-मत का इस बिल पर बहुत विरोध होगा और स्थिति बहुत खराब हो जावेगी। हम ऐसी स्थिति हमारे राजस्थान में नहीं पैदा करना चाहते जिससे सरकार और पब्लिक के बीच में बड़ा संघर्ष पैदा हो जावे। जैसा कि अभी मैंने माननीय अध्यक्ष, इस सदन में अर्ज किया कि हम भी चाहते हैं कि हमारी सरकार के आमदनी के साधन बढ़ें लेकिन जो कुछ कार्य किया जावे उसे सोच विचार कर किया जावे, जल्दी में नहीं किया जावे। इसलिये मैं बहुत जोर से सदन में निवेदन करूँगा कि इस विषय पर जल्दी नहीं करके इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में अप्रेल या मे (April or May) में नहीं पेश करके ४-५ महीने ठहर कर, कर ही सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जावे। पहले आप कस्टम ड्युटी को हटालें, उसके बाद आपका यह सेल टैक्स बिल मेच्योर होगा; उस समय हम इस पर विचार करेंगे।

श्री श्रीदास गोयल--अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी दो माननीय सदस्यों ने उधर की बैंचों से सेल्स टैक्स पर सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया उसके विरोध में बोलते हुए विरोध किया और यह माँग की कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेट किया जावे।

[श्री श्रीदास गोयल]

माननीय मित्र जो बीकानेर से तशरीफ लाये हैं सेल्स टैक्स को उसूलन सही मानते हैं, जैसा कि उन्होंने प्रथम के शब्दों में कहा है, लेकिन साथ में वे यह भी चाहते हैं कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए इसलिए सर्कुलेट कर दिया जाय कि इसको सिलेक्ट कमेटी को ठीक करने के लिए मदद मिल सके। तो यह बहुत साफ है कि किसी भी बात को शुरू करने के लिए व्यर्थ में देरी नहीं करनी चाहिए। सिद्धान्त यह है कि कस्टम ड्युटी को खत्म किया जा रहा है और सेल्स टैक्स उसका सबसटीट्यूट है। नेशनल वेलफेयर के लिए यह आवश्यक है। कस्टम्स से ट्रेड और बिजनेस को नुक्सान होता है। इन्डाइरेक्ट टैक्सेज़ राजस्थान के सिटीजन अपनी जेब से राजस्थान सरकार को क्यों दें? तो अब उनको सेल्स टैक्स देना होगा और इससे ट्रेड को भी लाभ पहुँचेगा। पब्लिक ओपीनियन के साथ-साथ मैं मेरे माननीय मित्रों के ध्यान में ला देना चाहता हूँ कि इस हाउस में बैठने वाले सभी प्रतिनिधि पब्लिक को रिप्रेज़ेन्ट करते हैं और पब्लिक को रिप्रेज़ेन्ट करने का बेस्ट स्टफ है।

(विरोधी पक्ष की ओर से "हियर, हियर" तथा हंसी)

तो पब्लिक ओपीनियन को रिप्रेजेन्ट करने के लिए सिलेक्ट कमेटी में भी वे उनके रिप्रेजेन्टेटिव हैं। आपको यह मानना चाहिए कि इस सेल्स टैक्स को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप व्यर्थ ढील करने की भावना को खत्म करेंगे और मेरे लायक मित्र इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट करने का आग्रह नहीं करेंगे।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, सेल्स टैक्स बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्कुलेट करने का जो प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष, हम राजस्थान की जनता को टैक्स के बोझे से दिन पर दिन लादते जा रहे हैं और पिछले दो सालों में अगर हमारा कोई काम हुआ है और जिसको कि हम अचीवमेन्ट कहते हैं तो वह यह हुआ है कि अगर एक किसान पर, जनता की कमर पर एक मन का बोझा था तो उसकी कमर पर अब बीस मन का बोझा लाद दिया गया है जिससे कि उसकी कमर टूट जाय। इसी आशय से सेल्स टैक्स ला रहे हैं। स्टेटमेण्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में दिया गया है कि इसकी आवश्यकता क्या है? यह इसलिये लाना चाहते हैं कि हम कस्टम्स ड्युटी को हटा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, कस्टम्स ड्युटी का एक पर्सेन्ट हिस्सा भी आज तक कम नहीं किया गया है और कस्टम ड्युटी को हटा देने के समय में सिर्फ एक साल ही बाकी रह गया है, अतः जो सेल्स टैक्स लागू होना चाहिए वह एक साल की मयाद के बाहर (के बाद) ही लगाना चाहिये और वह तभी लागू हो सकता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब कस्टम ड्युटी की एवज में आप उसको लगाना चाहते हैं तो कोई कारण नहीं है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में देकर जल्दी में पास करावें और पब्लिक ओपीनियन के लिए सर्कुलेट न करें। मेरे एक लायक मित्र ने कहा कि यहाँ जो सदन में सदस्य हैं वे पब्लिक ओपीनियन को रिप्रेजेन्ट करते है। मैं मानता हूँ कि हम पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेन्ट करते हैं किन्तु यहाँ पर व्हिप जैसी जो चीज़ है उससे हम खत्म हो जाते हैं। हम पब्लिक ओपीनियन को रिप्रेज़ेन्ट नहीं करते किन्तु हम ओबे (Obey) करते हैं उस व्हिप को जो कि हमारी पीठ पर लगाया जाता है। अभी एक बिल आपके सामने आया था जो कि किसानों की कमर को तोड़ने वाला था।

[श्री गोपीलाल यादव]

माननीय अध्यक्ष, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि यदि आप एक-एक किसान को चेम्बर में बुला कर पूछते तो वे इसका विरोध करते।

('नो-नो' की राज्य-पक्ष द्वारा आवाज)

आज उनको सुबह बुलाया गया था और उनको मजबूर किया गया था कि तुमको इस बिल पर नहीं बोलना है। इसी तरह से, मैं निवेदन करूँगा कि सिलेक्ट कमेटी में होगा और अगर कोई नहीं है कि पब्लिक ओपीनियन को रिप्रेजेन्ट कर सकें तो फिर इसको पास करने दिया जाय। तो इसलिए आवश्यता इस बात की है कि हमारे मित्रों के सामने जिन पर कि वह कोड़ा पड़ता है, पब्लिक की राय खास तौर पर आ जाय। यह जल्दी की चीज़ नहीं है और ऐसा करके एक प्रकार से डबल टैक्सेशन करना है, जब तक कि कस्टम्स ड्यूटी लगी हुई है।

श्री भैरूँसिह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जोधपुर के माननीय सदस्य ने राजस्थान जनरल सेल्स टैक्स बिल को जनमत—संग्रह के लिए भेजने का जो प्रस्ताव रखा है इसका माननीय अध्यक्ष, मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे एक माननीय मित्र ने यह बताया है कि जिस प्रवर समिति के सुपुर्द यह बिल किया जावेगा उस प्रवर समिति के वे ही सदस्य होंगे जिनको जनता ने यहाँ चुनकर भेजा है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

"कहने को कुछ और है, करने को कुछ और।" हमने जनता से वोट लिए जरूर हैं और उनके प्रतिनिधि भी बने है; इस बात की डूंडी भी पीटी है कि वहाँ जाने के पश्चात्, या राजस्थान के आम चुनावों के बाद जो सरकार बनेगी वह राजस्थान की जनता पर कम से कम कर लगावेगी। लेकिन जनता की चुनी सरकार ने जिस समय से कार्य-भार सम्भाला है, विधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था उस समय से आज तक देखा जाय और जनता के लिए जो सुधार-कार्य किये है उनको एक पलड़े में रखा जाय और जितने कर उन पर लगाये हैं उनको दूसरे पलड़े में रखा जाय तो, उपाध्यक्ष महोदय, जिस पलड़े में कर दिखाई देते हैं वह कितना भरा हुआ है यह दिखाई देगा और जो सुधार का पलड़ा है उसकी तो कोई गिनती ही नहीं रहेगी। यह कहा जाता है कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता की ओर से सिलेक्ट कमेटी में जाकर स्वतन्त्र विचार रख सकेंगे। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि इस सिलेक्ट कमेटी के अन्दर आने वाले प्रतिनिधि जरा जनता में जाकर तो भाषण दें और जनता से पूछें कि यह कर लगाया जाना वाजिब है या नहीं। यदि वे कार्यकर्ताओं की मीटिंग में भी कहेंगे तो एक आवाज से, एक स्वर से यही कहेंगे कि इस प्रकार के टैक्स की राजस्थान में कोई आवश्यता नहीं है। इस कारण से माननीय उपाध्यक्ष, मैं साफ कहूँगा कि माननीय सदस्य डरे हुए हैं, सरकार के अधिकारी डरे हुए हैं, राजस्थान सरकार डरी हुई है कि यदि इस बारे में जनता की राय माँगी गई तो वह सरकार के प्रतिकूल राय होगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही यदि माननीय मन्त्री और उनका समर्थन करने वाले जनता की मीटिंग बुलायें और जो सेल्स टेक्स

[श्री भैरूँसिंह (दांतारामगढ़)]

की नीति है उसको वे जनता को बतावें और उनको कन्विन्स करें कि राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, सेल्स टैक्स लगाना अनिवार्य है और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए और माननीय उपाध्यक्ष, यदि जनता की राय मिलती हो कि सेल्स टैक्स लगाना वाजिब है तो फिर इस टैक्स को बिना विरोध के ही लगा दिया जाय। लेकिन मुझे विश्वास है कि राजस्थान सरकार, सिवाय उन सदस्यों के जो कि सत्तारूढ़ दल के समर्थक हैं, जो यह राय दें कि सेल्स टैक्स राजस्थान में लगा दिया जाय, अन्य कोई नहीं होगा; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेन्स कमीशन को जो रिपोर्ट पेश की गई थी राजस्थान सरकार की ओर से उसमें कहा गया है कि जब तक कस्टम ड्युटी हटा न ली जावे उस वक्त तक सेल्स टैक्स नहीं लगावेंगे। इन दोनों चीजों को सामने रख कर फाइनेन्स कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें स्वीकार किया है कि राजस्थान की जनता पर दूसरी रियासतों के मुकाबले में ज्यादा टैक्स लगे हुए हैं और फिर ऐसी सूरत में और टैक्स लगाने की इजाजत, राजस्थान सरकार को अधिकार दिया जाता है तो यह जनता के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता पर एक तरफ तो वैसे ही अधिक करों का भार है और फिर दूसरी तरफ इस प्रकार टैक्स लगाया जा रहा है जिससे जनता के प्रत्येक व्यक्ति के प्रभावित होने का डर है। एक पैसे से एक हजार रुपये तक टैक्स देने की योजना बनाई जा रही है तो उसको कार्यान्वित करने के पहले हमें उसके बारे में जनता की राय ले लेनी चाहिए और उपाध्यक्ष महोदय, जनता की राय जानने से विशेष सुविधा मिलेगी। भारतवर्ष के इतिहास में हमने देखा है कि जितने कानून बने हैं उनकी कानून बनाने वाले ही अवहेलना करते हैं और जनता भी करती है और उसका मुख्य कारण एक ही नजर आता है और वह यह है कि ऐसे कानून बनाने से पहले जनता की राय नहीं जानी जाती। अगर राय जानी जाती है, जो कर लगाये जाते हैं, अगर उनके लिए कन्विन्स (Convince) कर दिया जाता है तो उसके प्रतिकूल कोई आन्दोलन नहीं होगा, असन्तोष का वातावरण नहीं बनेगा और उस आन्दोलन को और असन्तोष को दबाने के लिये भी कोई कदम नहीं उठाना पड़ेगा और सरकार को उसके लिए ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आपसे यह निवेदन करूँगा कि सेल्स टैक्स के बारे में भी जनता की राय जान ली जाय और इससे होगा यह, माननीय उपाध्यक्ष, कि जनता के विरोध को दबाने के लिए, जनता के असन्तोष को दबाने के लिए, यह होगा कब जब कि उसकी राय नहीं ली जायगी, कड़ा कदम उठाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी।

दूसरी चीज़ जो मुझे निवेदन करनी है वह यह है कि हमें टैक्स लगाने से पहले यह देखना होगा कि हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति, राजस्थान के उद्योग-धन्धों की स्थिति और राजस्थान के व्यापार की स्थिति क्या है ? अगर इस प्रकार टैक्स लगाया जायगा तो इन तीनों प्रकार के व्यापार पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह सोचने की बात है। जहाँ तक हमारी आर्थिक नीति का सम्बन्ध है कस्टम को हटाकर इन्कम टैक्स लगाया जाता है तो कस्टम का रिप्लैसमेण्ट हो जायगा। कस्टम से जितनी आमदनी कम होगी वह इनकम टैक्स से पूरी हो जायगी। फिर जो कर लगाने की नीति है उससे हम जहाँ तक देख पाये हैं हमें इन उद्योग-धन्धों और व्यापार की स्थिति को एक दूसरी ही नज़र से देखना पड़ेगा। आज हम दुनिया में कहा करते हैं कि राजस्थान में उद्योग-धन्धों की कमी है, राजस्थान का

[श्री भैरूँसिंह (दांतारामगढ़)]

व्यापार दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा है; उस वक्त हमें यह सोचना पड़ता है कि जब हमारा व्यापार, उद्योग-धन्धे दिन प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं और इसी के कारण बेकारी बढ़ती जा रही है, हम बेकारी को रोकने के स्थान पर, नये उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देने के स्थान पर और व्यापार को चरम सीमा पर पहुँचने के स्थान पर उद्योग-धन्धों को नष्ट कर रहे हैं, व्यापार को चौपट कर रहे हैं और इससे बेकारी बढ़ा रहे हैं सेल्स टेक्स लगाकर। यह केवल सरकार की दूरदर्शिता नहीं, अदूरदर्शिता ही होगी। इसका नतीजा सरकार को बुरे ढंग के अन्दर भुगतना होगा।

हमारे सामने डेवलपमेन्टस् की स्कीमस् हैं, हमारे सामने कई बान्ध-योजनायें हैं। इस प्रकार की बातें कह कर उन बातों की आड़ लेकर आप चाहते हैं हम जितना ज्यादा टेक्स लगावें, लगाना चाहिए। इस प्रकार की आड़ लेकर जनता पर यह टेक्स लगाये जाते हैं। इस सेल्स टेक्स के लिए जो मूलभूत टेक्सशन की पॉलीसी अख्तियार की है वह हैदराबाद में है, इसलिए यहाँ भी यह लागू की गई है। आपको चाहिए कि आप हैदराबाद की आर्थिक स्थिति की तुलना हमारे राजस्थान से करिये कि वहाँ कितने प्रकार के टैक्सेज़ हैं। वहाँ पर यहाँ से कितने टैक्सेज़ की कमी थी इसलिए वहाँ पर सेल्स टेक्स को अपनाया गया इसलिए वहाँ की सरकार ने मलटीपोइन्ट टैक्सेशन की पॉलीसी को अख्त्यार किया। हैदराबाद और राजस्थान की टैक्सेशन पॉलिसी अगर एक दृष्टि से देखी जाय तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान की जनता पर हैदराबाद की अपेक्षा कई गुना ज्यादा टैक्सेज हैं। वहाँ पर टैक्स की कमी होने के कारण मलटी-पोइन्ट टेक्सेशन पॉलिसी को अख्तयार किया है। राजस्थान और हैदराबाद की आर्थिक नीति में भी बहुत फरक है। यहाँ पर वहाँ से कितने ही टैक्स ज्यादा है। हैदराबाद की आड़ लेकर इस प्रकार की टैक्स की समानान्तर रूपरेखा यहाँ लागू करना हमारी वर्तमान सरकार के लिए कतई शोभनीय नहीं है। इन्हीं कारणों से मैं निवेदन करूँगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने से पहले जनता की राय के लिए सर्कुलेट किया जाय। जनता पहले अपनी राय इस पर व्यक्त कर ले ताकि वे अपने प्रोपोज़ल भेज सकती है, ताकि जो हमारी सरकार के दिमाग में इस बारे में अन्धेरगर्दी फैली गई है उसमें किसी प्रकार प्रकाश ला सके, ताकि इस प्रकार के कानून जबरदस्ती जनता पर न लादे जा सकें। अगर जनता द्वारा जो प्रोपोज़ल्स होंगे, उनके द्वारा इस सम्बन्ध में सुझाव भी आवेंगे उनको विचार करके जो कोई भी मार्ग हम निकालेंगे उसको जनता का सहयोग प्राप्त होगा और उसके सहयोग से कानून का अमल भी पूर्ण रूप से हो सकेगा। इसलिए मेरा फिर निवेदन है कि इसको जनता की राय के लिए सर्कुलेट किया जाय।

श्री हरिदेव जोशी—माननीय अध्यक्ष, अभी पृथक् राजस्व मन्त्री ने जो प्रस्ताव रखा है उसके विरोध में एक संशोधन आया है, उस संशोधन के समर्थन में विभिन्न दृष्टिकोण से कुछ बातें कही गई हैं। एक चीज तो यह कही गई कि वे सिद्धान्ततः इस सेल्स टेक्स को उचित समझते हैं और कहते हैं कि यह लगाया जाना चाहिये। अब प्रश्न यह है कि इस पर जनमत ले लिया जाय, आम लोगों की राय लेने के लिए इसे प्रसारित किया जाय।

[श्री हरिदेव जोशी]

दूसरी बात जो किन्हीं सदस्यों ने रखी है वह यह है कि इसको सिद्धान्ततः ही राजस्थान में लागू न किया जाय। जहां तक मैं समझता हूँ और जो मित्र यह कहते हैं कि इसको जनता की राय के लिए भेजा जाय वे सिद्धान्ततः इसको अस्वीकार करते हैं, ऐसा अर्थ लगाया जाना चाहिये। उनकी इच्छा यह है कि इस प्रकार से कुछ अरसा इसमें लग जायगा और इसके लागू होने में देरी हो जायगी। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की आज एक विशेष प्रकार की स्थिति है, वह विशेष स्थिति यह है कि आज राजस्थान सरकार अपनी अर्थ-व्यवस्था को सन्तुलित रखने के लिए एक प्रकार से टेक्स लगाना चाहती हैं और इस एक प्रकार के टेक्स लगाने के पहले अपनी अर्थ-व्यवस्था को, अपने कामों को, अपने विकास-कार्यों को, अपने बजट को सामने रखकर ही इस प्रकार के टेक्स का प्रस्ताव करती है।

हम जब बजट पर वाद-विवाद करते हैं, तब हम यह सोचते हैं कि हमारे यहां अधिक से अधिक सड़कें बननी चाहिये, अधिक से अधिक विकास-कार्य होने चाहिये, अनेक नदी-घाटी योजनायें बननी चाहिये, सिचाई के काम में वृद्धि होनी चाहिये, स्कूलें और तालाब बनने चाहिये और उस समय हम इतने भावावेष में आ जाते हैं कि हम न केवल राजस्थान के बारे में सोचते हैं पर राजस्थान के एक-एक गांव, एक-एक कस्बे के बारे में विचार करते हैं और आशा करते हैं कि राजस्थान सरकार एक-एक गांव को आम सड़कों से मिला दे। ऐसी स्थिति में देखना पड़ता है कि जो मांगें हम करते हैं और जो भावनायें हम व्यक्त करते हैं उसके पीछे हमारा क्या दृष्टिकोण है? उन मांगों के पीछे उन मांगों को पूरा कराने का दृष्टिकोण है या महज़ कुछ कहने के नाते कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। अगर हम अपनी मांगों को ईमानदारी से पूरी करवाना चाहते हैं तो उन मांगों को पूरी करवाना चाहिये। इसमें कोई शक नहीं कि देश के अन्दर नये टेक्सेज़ के बारे में एक प्रकार की विचार-धारा है। माननीय अध्यक्ष, इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो टेक्स हम केन्द्र को देते हैं या प्रान्तीय सरकार को देते हैं उनकी पृष्ठभूमि को हमें देखना पड़ेगा। स्टेट-ड्यूटी आदि जो भी टेक्स लगाये गये हैं उनसे गरीब जनता पर कोई टेक्स नहीं लगता है और उनसे जो पैसा वसूल होता है उससे हम देश का उत्थान करना चाहते हैं। इनकम टेक्स की भी वही स्थिति है जो कि साधारण तबके पर नहीं लगेगा। हमें यह देखना है कि किन-किन लोगों से पैसा लेकर किन लोगों पर हम पैसा लगाना चाहते हैं। टेक्स के बारे में भी यही स्थिति है। जैसे सूर्य, समुद्र, नदी, नालों से भाप के जरिये आसमान पानी देता है और बरसाता है, आम लोगों पर बिना किसी भेदभाव के; उसी प्रकार ये टेक्सेज़ हैं; बड़े लोगों से लेकर आम लोगों के हित में सरकार खर्च करनी वाली है। जैसा कि सेल्स टेक्स के बारे में बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जिन चीजों पर यह टेक्स लगेगा उनकी कस्टम ड्युटी हट जायगी। उसी प्रकार जब हम पांच साल के अन्दर कस्टम ड्युटी को हटा रहे हैं तो बाद में इसकी पूर्ति के लिए दूसरे टेक्स तो लगेंगे ही और विरोध भी होगा। अगर इसी भय से हम डरते हैं तो हम जनता का हित नहीं कर सकेंगे और जनमत का मुकाबला भी नहीं कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, यह भय कई बार पैदा किया जाता है, इस प्रकार का वातावरण पैदा किया जाता है और वह वातावरण इस सदन में भी (उत्पन्न) करने की चेष्टा की जाती है। जब हम इस चीज को जायज तौर से स्वीकार करते हैं तो हमें चाहिये कि जो ताकत इसका विरोध करती

Page No.49

[श्री हरिदेव जोशी]

हो उसको समझाना चाहिये, माननीय सदस्यों को उस स्थिति पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिये और उनको यह समझाना चाहिये कि यह टेक्स राजस्थान के हित के अन्दर हैं, आम लोगों के हित के अन्दर है जिसके जरिये हम देश और हमारे प्रान्त का कल्याण कर सकते हैं, हम लोग अपनी भावनाओं को गति दे सकते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अगर किसी वर्ग के अन्दर यह भावना हो, यह गलतफहमी हो तो उसे दूर करना हम लोगों का कर्तव्य है; न केवल सरकारी पक्ष के लोगों का बल्कि विरोधी दल का भी यह कर्तव्य हो जाता है।

इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन है कि जो यह कहा गया कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने से पहले जनमत के लिए इसको प्रसारित किया जाना चाहिये, इसमें कोई शक नहीं कि इस पर जनमत जान लिया जाना चाहिये, जनमत जानने के भी अपने-अपने तरीके होते हैं। कई बार हम डाइरेक्ट इलेक्शन्स करते हैं, कई बार हम इन्डाइरेक्ट इलेक्शन्स भी करते हैं और इस प्रकार जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वे भी जनमत के प्रतिनिधि होते हैं। यह हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में हाउस ऑफ दी पीपल के जो सदस्य हैं वे भी जनता के प्रतिनिधि हैं और जो अपर हाउस यानी कौन्सिल ऑफ स्टेट में हैं उसके जो मेम्बर्स हैं वे भी जनता के रिप्रेजेन्टेटिव्ज़ हैं, मगर कौन्सिल ऑफ स्टेट के जो सदस्य हैं वे इन्डाइरेक्ट इलेक्शन के द्वारा गये हुए हैं; तो कौन कह सकता है कि वे जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। इस प्रकार जो हम निर्णय लेते हैं वह जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से निर्णय लेते हैं और आज जब स्वीकार करते हैं तो ईमानदारी का तकाजा है कि जनता से सरकार की इस मांग को स्वीकार करायेंगे। इसलिए इन शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं, मन्त्री महोदय ने जो प्रस्ताव किया है, उसका समर्थन करता हूँ।

(श्री मुक्तिलाल मोदी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

एक सदस्य—बोलने दीजिये।

श्री भोलानाथ (पृथक् राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, मैं बोलूँ।

श्री उपाध्यक्ष—I have ordered to reply.

श्री भोलानाथ—मुझे इजाजत हो गई है।

मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह—On a point of order, Sir, you have just allowed the Hon'ble Member (Shri Muktilal Modi) to speak.

श्री भोलानाथ—यह बात सीधी-सादी है। वैसे टेक्स के नाम से केवल इसका विरोध करने की कोशिश की गई है। जाहिर यह है कि इस बिल को इन्ट्रोड्यूस करने की इजाजत जब मांगी गई थी, उस समय इस पर काफी चर्चा हो चुकी थी। मैं नहीं समझता था कि उसके बाद इस पर इस प्रकार की बहस की कोई आवश्यकता महसूस होगी। दूसरे, जिस वक्त बजट आया उस समय भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ चर्चा हुई। कस्टम के सम्बन्ध में भी जब चर्चा आती है तब इस बिल का

[श्री भोलानाथ]

जिक्र होता है । स्टेमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने सब से पहले बहस प्रारम्भ की थी और कहा था कि उनका खयाल है कि यह बिल और कस्टम ड्युटी दोनों बराबर चल रही हैं, वे साथ-साथ चलेंगी । इस प्रकार की बात कहकर जनता में भ्रम पैदा करने की कोशिश की जाती है और यह जाहिर किया जाता है जैसा कि अभी हमारे मित्र .....

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैंने यह कहा कि जो आइटम्स कवर नहीं हो रहे हैं उनके बारे में क्या नीति है, यह साफ नहीं है ।

श्री भोलानाथ—तो इसमें खास तौर से आखिर के पेरेग्राफ में कहा गया है—

"It will replace inter-state transit duties on items selected in stages."

कस्टम ड्युटी आज जारी है और यह जाहिर है कि कस्टम ड्यूटी एक मियाद तक जारी रहने वाली है; लेकिन उसको किसी टेक्स से रिप्लेस करना है और वह रिप्लेसमेंट भी खास तरीके से करना है । जिस टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी का जिक्र किया जाता है उसके सामने जो एवीडेन्सेज़ (साक्षियें) हुई थीं, उनमें यह बात साफ जाहिर कर दी गई थी कि राजस्थान के अन्दर सेल्स टैक्स लगने से और कस्टम के हटने से जो बीच का गेप होगा, वह इतना बड़ा गेप होगा कि जिसकी जिम्मेदारी भारत सरकार को लेनी होगी । यदि आप थोड़ी-सी कोशिश करके इधर-उधर से स्टेटिस्टिक्स देखते तो पता लगता कि सेल्स टैक्स से जितना बोझ आता है वह बोझ किसी भी हालत में ८ आने से ज्यादा नहीं आता है । यदि कस्टम को हम देखते हैं तो २) रु० का एवरेज आम तौर से पड़ता है पर केपिटा । राजस्थान में बहुत अच्छी व्यापारिक हालत नहीं है तो १) रु० तो पड़ नहीं सकता है । इस वजह से अन्दाज शुरू में किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा २ करोड़ रुपये का नुकसान होगा । लेकिन जब और प्रान्तों में जिसमें बिहार जैसा प्रान्त जिसमें कई प्रकार की इन्डस्ट्रीज भी मौजूद हैं; आसाम को देखेंगे तथा और प्रान्तों के हिसाब को देखेंगे तो ८ आने का एवरेज निकलता है । यदि बिहार में ८ आ० पर केपिटा है तो राजस्थान में ८ आ०, १० आ० से ज्यादा नहीं आने वाला है, यदि नहीं करते हैं तो २ करोड़ के बजाय ३-४ करोड़ से राजस्थान का बजट डेफिसिट होने वाला है और इस तीन करोड़ के डेफिसिट के मायने यह हो जाते हैं कि एवरेज पर केपिटा २) रु० से ज्यादा टैक्स आगे होने वाला है । मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे मित्र किस प्रकार ऐसे स्टेटिस्टिक्स पेश करने की कोशिश करते हैं कि जिससे राजस्थान में इस प्रकार की विचार-धारा फैले कि राजस्थान सरकार नये-नये टैक्स लगाने की बात करती है । अभी एक मित्र ने कहा कि नये-नये प्रकार के टैक्स लगायेंगे । अभी तक ऐसा प्रापोजल नहीं आया है । जो बिल पेट्रोल के सम्बन्ध में आया था वह भी इस तरह का सेल्स टैक्स था । जो आज कस्टम है उससे अधिक लगाने की मन्शा नहीं थी और वह कस्टम से रिप्लेस करने वाले थे, ऐसा मानें और रियासतों में हमारे यहां से ज्यादा हैं । हैदराबाद का जिक्र इसलिए किया गया है कि वहाँ इस प्रकार की स्टेट थी जहां कस्टम रायज़ था और उस कस्टम की मियाद एक साल भारत सरकार ने दी है हैदराबाद में जारी रखने के लिए । उसके बाद में एक साल की मियाद मिली है हमें । वह हमारे यहां बराबर चल रहा है । वहां पहले लागू किया है इसलिए हमने "बी" क्लास

[श्री भोलानाथ]

स्टेट का नमूना चुना और फिर उस नमूने को आपके सामने पेश किया है, नोटिफिकेशन इसका हो चुका है। फिर आज तक जो पब्लिक की राय थी, आखिर आई है आपके जरिये से; वह इस बिल की किसी भी धारा को प्राप्त होगी। जो कुछ असर पड़ेगा, बुरा या भला, वह आपके द्वारा अपनी ग्रिवान्सेज़ (grievances) को अच्छी तरह से रख सकते हैं, जो सिलेक्ट कमेटी के सामने पेश कर सकते हैं। उसके बाद में बिल आप लोगों के सामने आयेगा, उस पर बहस हो सकती है। तो फिर कोई वजह नहीं पाई जाती है कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजा जाय। कॉन्स्टीट्यूशन में प्रोवाइडेड टैक्स है; जिसको न केवल हमने माना है बल्कि सारे हिन्दुस्तान ने माना है, पार्लियामेंट ने माना है, कॉन्स्टीटुएन्ट असेम्बली ने माना; जो कि खास मकसद के साथ में इलेक्ट हुई थी उसने माना, फिर भी चर्चा की जाती है। इसका मतलब यह है कि जो उसके अच्छे पहलू हैं उन पर कोई प्रकाश नहीं डाला जाय, बल्कि राजस्थान सेल्स टैक्स से जो फायदा होने वाला है, आम जानता का फायदा होने वाला है उस पर जाहिर प्रकाश न डाला जाय। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि सेल्स टैक्स से राजस्थान की जनता का लाभ होने वाला है। कोई भी ऐसा टैक्स नहीं है जिससे रिलीफ न होने वाला हो। कस्टम तो बोर्डर पर नाके-नाके पर वसूल की जाती है लेकिन यह सेल्स टैक्स तो व्यापारिक सैन्टर्स पर और जिन व्यापारियों की ७५००) रु० की टर्नओवर होगी वही वसूल करेंगे। वह जगह-जगह परेशान होते थे और जब वे इस चीज को देखेंगे तो वे इसका स्वागत करेंगे और खुद मानेंगे और वे बता देंगे अपने मित्रों को, जो सिलेक्ट कमेटी में हैं, कि इसको जल्दी से जल्दी पास करावें, वे बड़े परेशान हैं और जगह-जगह उन्हें परेशान होना पड़ता है। ऐसे मेजर को पास नहीं करके क्या वे जनता की सहानुभूति नहीं लेना चाहते। (हियर, हियर)

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस डिलेइंग की बात से फायदा नहीं होने वाला है। उनको सरकार को मुबारकबाद देना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इसको पास कर सकें। इसको इसी अधिवेशन में पास करना था। अगर आपकी देरी करने की मन्शा है तो कस्टम से डेफिसिट होने वाला है ३-३ करोड़ का वह पूरा नहीं होगा। वह अपने लिये फायदेमन्द नहीं होने वाला है। फिर एक ऐसे टैक्सेशन का जो कि सार्वजनिक हित का है, जिसकी आदत सबको पड़ गई है, वही लागू किया जाने को है। आपने देख लिया होगा कि जनता पर इसका क्या असर हुआ, बम्बई में क्या असर हुआ? सिलेक्ट कमेटी के सामने आप लोग अपने अनुभव रखें। इन सबके बाद में मैं आवश्यक नहीं समझता कि पब्लिक ओपीनियन के लिए इसको भेजा जाना चाहिए। मैं तो आपको मेरे साथ शामिल करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इसको पास कीजिये, राजस्थान की जनता आपको बधाई देगी। इसलिए पब्लिक ओपीनियन के लिये सर्क्युलेशन करने का जो प्रस्ताव आया है उसका विरोध करता हूँ और मूल प्रस्ताव को पास करने की आपसे आशा करता हूँ।

भैरूँसिंह (दांता रामगढ़)—ओन ए प्वॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, आज सदन में बड़े जोरों की चर्चा चल रही है कि अध्यक्ष महोदय के बारे में अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा रहा है; उसके बारे में क्लेरिफिकेशन हो जाय तो ज्यादा जरूरी होगा।

श्री उपाध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री भोलानाथ—इस बिल से उसकी क्या रिलेवेन्सी (relevancy) है ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, काफी बहस इस बात पर हो गई। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि कम से कम शब्दों में माननीय मन्त्रीजी राजस्थान की जनता को राहत देने के लिए बड़े उत्सुक हैं।

मैं उनको पूरी तसल्ली दिला दूँ कि आप बगैर नोटिस के और बगैर सर्कुलेट किये एक लाइन का, एक सेक्शन का एक्ट यदि सरकार की तरफ से प्रस्तुत करें कि आज इसी वक्त से कस्टम ड्युटी अबोलिश की जाती है तो न सिर्फ हम आपको वोट ही देंगे बल्कि तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करेंगे। आप करके तो देखिये। लेकिन वे नहीं कर रहे है। माननीय मन्त्रीजी के इस बारे में कसम-कस चल रही है और जो मैंने बात कही उसको तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश की; फिर भी वह स्पष्ट ही रहेगा। जो रॉ मेटीरियल (कच्चा धातु) राजस्थान से एक्सपोर्ट होता है और जो मवेशी किसानों के बाहर जाते हैं उन पर आप ड्युटी लेते हैं। उन आइटम्स का क्या होगा, इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। मैं जानता हूँ कि उन पर ड्युटी हटाने की नीयत नहीं है। सरकार का यदि राहत देने का इरादा है तो दीजिये राहत कि एक्सपोर्ट के सिलसिले में कस्टम ड्युटी आज से बन्द। लेकिन यह नहीं करते हुए जिन आइटम्स को हम सिलेक्ट करेंगे उन पर से कस्टम ड्युटी हटायेंगे, ऐसा आप कहते हैं। आपने एक तो सिंगल टैक्स लगाया है जो १) रु० पर ३ पैसे के हिसाब से लेंगे और दूसरा मल्टी टैक्स लगाया है जो १) रु० पर १ पैसे के हिसाब से वसूल किया जायगा। ४७ चीजें ऐसी हैं जिन पर आपने सिंगल टैक्स लगाया है। इस तरह से आप १) रुपये के कीमत की चीज़ पर १ आना या सवा छै परसेन्ट टैक्स वसूल करेंगे यानी कस्टम के बराबर आपने टैक्स लगा दिया है। जो चीज एक बार बिकेगी उस पर आप तीन पैसे रुपया लेंगे और वह यदि दुबारा बिकेगी तो १ पैसा रुपया और इजाफा लेंगे; तो फिर राहत कौनसी हुई। आप यह कहेंगे कि आमदनी कम होगी इस वजह से राहत मिलेगी। लेकिन यह कहना गलत है। आमदनी कम होने का कारण यह है कि इसमें भ्रष्टाचार है; यह नहीं कि लोगों को राहत मिलेगी; इसलिये आमदनी कम होगी। आप कहेंगे कि ईटेब्लस के ऊपर, घी के ऊपर, सीरियल्स के ऊपर, कोर्स कपड़े के ऊपर और कई दूसरे आइटम्स को सेल्स टैक्स से एक्सक्ल्यूड कर दिया गया है, इससे लोगों को खुशी होगी। लेकिन यह महाभारत वाला किस्सा है। "अश्वत्थामा हतो" कह कर आगे कह दिया "नरो वा कुंजरो"। इसी तरह से इन आइटम्स पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा, परन्तु दूसरी ओर उन्हीं चीजों पर स्पेशल टैक्स होगा जो ५ परसेन्ट के करीब होगा। माननीय उपाध्यक्षजी, कोई बात दलील की हो तो समझ में आ जाय, तथ्यपूर्ण हो तो आदमी उन्हें स्वीकार भी करले लेकिन १) रुपये की चीज़ के पीछे १ आना आप लेते रहेंगे और कहेंगे कि हम राहत दे रहे हैं! क्या कर रहे हैं आप पट्रोल के सिलसिले में १ चार आना की ड्युटी थी उसके ६ आने ले रहे हैं।

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मन्त्री)—नहीं, यह सही नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर ६ आने नहीं ले रहे हैं तो ५ आने ले रहे हैं। ६ आना तक इजाफा ले लिया, तो बताइये आपसे राहत कैसे मिली? आमदनी आपकी जरूर कम हुई लेकिन विशेष कारणों की वजह से, न कि राहत देने की वजह से। बिल के ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स में न तो कोई क्लेरिफिकेशन मिला और न मन्त्रीजी ने अपनी सफाई में इस पर कोई प्रकाश डाला। इसका एक ही अर्थ निकाला जा सकता है कि असल में राहत देने का काम रोका जा रहा है और जनता की आवाज सरकार के पास पहुँचने या सदन के पास पहुँचाने के लिये जनमत-संग्रह करना आवश्यक है। मेरे माननीय मित्र ने कहा कि डाइरेक्ट इलेक्शन होता है या इन्डाइरेक्ट इलेक्शन होता है, मगर येन केन प्रकारेण जनमत आ ही जाता है। वैधानिक तरीके पर यह बात सही है। लेकिन जब कभी महत्त्वपूर्ण मामलों पर फैसला लेने का अवसर आवे तो वैधानिक बातों को मानने वालों ने एक तरीका निकाला है और वह है रेफ्रेन्डम का। किसी विशेष प्रश्न पर रेफ्रेन्डम (referendum) किया जाता है जिसमें किसी पार्टी या वर्ग विशेष का अलग सवाल नहीं होता। मेरी यह राय है कि इस विशेष प्रश्न पर जनता की राय जानना आवश्यक है। यदि आप इसके लिये रेफरेन्डम नहीं करें तो कम से

(श्री अध्यक्ष पुनः पदासीन)

कम पब्लिक ओपिनियन के लिये तो इसे सक्युलेट करके अलग-अलग तरह के लोगों के व अलग-अलग तबकों के विचार सदन के सामने रखे जावें। इसलिये मैंने मेरा यह अमेन्डमेन्ट सदन के सामने प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री एच० के० व्यास ने रखा है "That the Bill be circulated for the purposes of eliciting public opinion thereon by October 30, 1954." को पास किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

Now, the question is that the motion for referring the Bill to a Select Committee be accepted.

(स्वीकृत)

The motion is adopted. (विराम) Now, we take Bhoodan Yajana Bill, 1954.

राजस्थान धार्मिक भवन तथा स्थान विधेयक, १९५३

श्री भैरूँसिंह (दाँता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष, ऐसा सुनने में आया है कि सदन में सदन के माननीय स्पीकर के प्रति......

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

Page No.54

श्री भैरूँसिंह (दाँता रामगढ़)—(बोलना जारी रखते हुए).....अविश्वास का प्रस्ताव आया है ।

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, राजस्थान भू-दान यज्ञ बिल की बजाय राजस्थान रिलीजियस बिल्डिंग्स एन्ड प्लेसेज बिल, १९५३ ले लिया जाय तो अच्छा रहेगा क्योंकि भू-दान यज्ञ बिल पर अमेंडमेंट्स बहुत हैं वह आज सब नहीं होगा ।

श्री अध्यक्ष—राजस्थान रिलीजियस बिल्डिंग्स एन्ड प्लेसेज बिल ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of Order, Sir.

श्री अध्यक्ष—कैसा ओर्डर चाहते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—सदन में बिल का नाम डिक्लेयर करने के बाद अगर उस बिल को पेश नहीं करते हैं तो क्या यह समझा जाय की वे उसे वापिस लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष—Not exactly so. I have changed the order at his request. The name was called out, but the Hon'ble Member does not want to move and has requested that it should be taken afterwards. Now we take the Rajasthan Religious Buildings and Places Bill.

श्री भोगीलाल पंड्या (धर्मार्थ विभाग मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान रिलीजियस बिल्डिंग्ज़ एन्ड प्लेसेज़ बिल, १९५३, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित हुआ है, विचारार्थ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । (विराम) प्रश्न यह है कि राजस्थान रिलीजियस बिल्डिंग्ज़ एन्ड प्लेसेज़ बिल, १९५३ को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

अब हम प्रत्येक क्लाज़ का विचार करेंगे ।

खण्ड २ (विराम) प्रश्न यह है कि खण्ड २ स्वीकार किया जाय ।

श्री भोगीलाल पंड्या—इसमें श्री बी. एन. जोशी और श्री जवानसिंहजी के अमेंडमेंट्स हैं

श्री अध्यक्ष—Clause 2 ?

श्री बी० एन० जोशी—I have moved an amendment in sub-clause (4) and it is very essential and very important and I pray that permission be granted to move this amendment.

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—There is no amendment to clause 2.

श्री अध्यक्ष—I have just received, very fresh amendments on clause 4.

श्री भोगीलाल पंड्या—इस पर पहले भी अमेंडमेंट आ चुके हैं।

श्री अध्यक्ष—हम खण्ड २ पर चल रहे हैं, रिपील पर। इस पर तो कोई अमेंडमेंट नहीं है। प्रश्न यह है कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड २ विधेयक में अंग रूप से स्वीकार हुआ।

(विराम)

अब खण्ड ३ लिया जाता है।

(विराम)

प्रेस की मिस्टेक से ३ का ४ छप गया है, आप इसको ३ पढ़ें।

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ३ विधेयक में अंग रूप से स्वीकार हुआ।

(विराम)

अब खण्ड ४ लिया जाता है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—I have given notice of an amendment. In clause 4 (2) the words "or ordinary religious rites" occurring at the end of this sub-clause be deleted.

श्री अध्यक्ष—You want deletion of the words "or ordinary religious sites" ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—It is necessary and has been agreed to by the mover of the Bill.

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं इसे स्वीकार करता हूँ माननीय अध्यक्ष।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—Sub-clause (2) reads as under :

[श्री विश्वम्भरनाथ जोशी]

"Nothing in this section shall apply to cremation grounds and burial places or to the holding of functions or the taking out of processions, in ctnnection with deaths or marriages or to other purely social and secular function or to religious processions, or ordinary religious rites."

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble member wants deletion of the words "or ordinary religious rites."

We take it in an amendmant form.

श्री भोगीलाल पंड्या—मैं इसे स्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष—I presume that the whole of the House adopts this.

(स्वीकृत)

Clause four, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

क्लॉज ५, श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा क्लॉज ५ में जो अमेन्डमेंट है वह इस प्रकार है :—

"Delete the words "shall first obtain permisson from any local authority or officer having jurisdiction over the area where the building or place in question lies and thereafter such person occurring in sub-clause (2) of the clause."

जैसा कि बिल हमारे सामने आया है, इस बिल से और इसके उद्देश्यों से जो चीज मैंने हटाने के लिए प्रस्ताव रखा है उससे इस बिल के किसी भी पर्पज़ का सर्व (उद्देश्य की पूर्त्ति) होना साबित नहीं होता।

इस धारा की उप धारा में जो बातें बताई गई हैं वे यह हैं कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा मकान बनाने से पहले लोकल अथोरिटी की आज्ञा लेनी पड़ेगी। यही कानून लोकल बोर्ड्स का है जिसके अन्तर्गत यह लाजिमी है कि चाहे कोई कहीं मकान बनावे तो पहले उसको लोकल बोर्ड की इजाजत लेनी पड़ेगी। तब, ऐसी सूरत में जब कि इस प्रकार का कानून पहले से ही विद्यमान है कि किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी मकान बनाने के लिए लोकल अथोरिटी की आज्ञा लेना आवश्यक है, तो फिर इसी चीज को इस बिल में डाल देने से बड़ा भ्रम हो सकता है।

[श्री तनसिंह]

इससे यह भी मालूम हो सकता है कि लोकल ऑथोरिटीज़ ने यदि किसी व्यक्ति को बिल्डिंग बनाने की आज्ञा दे दी तो उस व्यक्ति के दिमाग में यह बात जायेगी कि आगे चल कर हमको आज्ञा आगे की ऑथरेटी देगी या नहीं। इसके अलावा जब हायर ऑथरेटी (उच्च अधिकारी) आपको इजाजत देगी तो उससे पहले यह देखेगी कि आया इस बिल्डिंग की इजाजत देना जरूरी है या नहीं। जब एक ऑथोरिटी इजाजत दे देती है तो फिर दूसरां से इजाजत लेना मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार शोभा-जनक नहीं है। यदि लोकल ऑथोरिटीज़ की आज्ञा रिलीजियस बिल्डिंगज़ के लिए लेना जरूरी है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोकल अधिकारी; जैसे टाउन म्युनिसिपेलीटीज़, लोकल बोर्डीज़ आदि, जैसे भी हों, उनसे इजाजत लेनी काफी होगी। इससे आगे बढ़ने से मैं समझता हूँ कि कोई लाभ नहीं होगा और लोगों को दिक्कत होगी। इस चीज को मिटाने के लिए मैंने यह एमेन्डमेन्ट रखा है।

श्री अध्यक्ष—(सम्बन्धित मन्त्री महोदय को सम्बोधित करते हुए) क्या आप इसको मन्जूर करते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—यह बात तो आवश्यक समझ कर ही रखी गई है। जब कहीं ऐसे बिल्डिंग्ज़ बनते हैं तो संभवतः आपस में झगड़े होने की सम्भावना रहती है। आपस में झगड़े नहीं बढ़ें, इसलिए यह बात रखी गई है। कलेक्टर उस स्थान से बहुत दूर होता है और वह वस्तु परिस्थिति को नहीं जानता। गाँव की पंचायत और म्युनिसिपलीटीज़ वहाँ की परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। इसलिए जो स्वीकृति मकान बनाने के लिए दी जाती है उसके लिए वहाँ के लोकल अधिकारियों की राय लेना जरूरी है। यह बात तो मकान बनाने वाले के फायदे के लिए ही है। इसलिए मैं ऐसा खयाल करता हूँ कि इस एमेन्डमेंट को माननीय सदस्य वापिस ले लेंगे।

श्री तनसिंह—अध्यक्ष महोदय, मुझे इसको वापिस लेने में कोई एतराज नहीं है। मगर मैं यह कहना चाहता हूँ कि कहीं कहीं पर लोकल ऑथोरिटीज़ नहीं है। यदि वहाँ पर मकान बनाना पड़ेगा तो वहाँ की क्या हालत होगी ? मुझे तो कोई एतराज नहीं है इसको वापिस लेने में। मैंने तो इसीलिए इसे रखा था। अगर आप इसे अच्छा समझते हैं तो वापिस ले सकता हूँ।

श्री भोगीलाल पंड्या— अब नये एक्ट के मुताबिक सारी जगह लोकल बोर्ड्ज़ और पंचायतें हो जावेंगी, इसलिए यह कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री तनसिंह—मैं इसे वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है।

(आज्ञा प्रदान हुई)

वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री तनसिंह—मैं अपना एमेन्डमेंट वापिस लेता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—श्री जवानसिंह ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ को स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

खण्ड ५ विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस खण्ड ६ को स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

खण्ड ६ का विधेयक का अंग बना ।

श्री अध्यक्ष--खण्ड ७, श्री तनसिंह ।

श्री तनसिंह—[Substitute the following sub-clause for sub clause (1):—

"Any perdon aggrieved by on order of collecter may within 30 days from the date of such order appeal in the prescrilbd manner to Commissioner."

2. Add the following new sub clause (3) after the sub-clause (2) of the clause.

"The Commissioner or the Revenue Board, as the case may be, may, if they think fit extent the period allowed by sub-section (1) or sub-section (2) for appeal."]

अध्यक्ष महोदय, इस खण्ड के अन्तर्गत अपील करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन मैंने भी जो एमेन्डमेंट रखा है उससे भी यही बात है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वह यह है कि इस धारा की उपधारा (२) में यह लिखा है :

"Any person aggrieved by any decision of the Commissioner"

इसमें यह नही बताया गया है कि कौन व्यक्ति अपील कर सकता है ;

"An appeal shall iie and may be brought in the prescribed mode to the Commissioner from an order of the Collecter made under Section 6 within 30 days from the date on which it was communicated to the applicant."

[श्री तनसिंह]

तो एप्लीकेन्ट को जब तक सूचना नहीं मिलती तब तक वह अपील नहीं कर सकता। यह मियाद ३० दिन की उस व्यक्ति को सूचना मिलने के बाद से शुरू होती है। यदि उसको सूचना नहीं मिलती तो भी नोन एप्लीकेन्ट जिसको मालूम पड़ जाय तो वह अपील कर सकता है। इससे एप्लीकेन्ट के राइट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कलेक्टर इस प्रकार का मकान बनाने की इजाजत दे दें तो जो उजरदार है उसको तो अपील का मौका मिलता ही है क्योंकि यह क्लॉज़ में साफ है कि उसको सूचना मिलने के बाद ३० दिन के अन्दर अन्दर वह अपील कर सकता है। मगर यह उन व्यक्तियों के खिलाफ पड़ता है जो नोन एप्लीकेन्ट है। क्लॉज ७ के उपक्लॉज़ (२) में ऐसी बात है तो उस रूप में लेने के लिये: "Any person aggrieved by tho decision of the Commissioner,"

"Any person aggrieved by the order of the Collector may within 30 days from the date of such decision appeal in the prescribed manner the Commissioner" और इसके बाद प्रश्न यह उठता है कि जिस दिन का आर्डर हो उस दिन से ३० दिन की मियाद हो। अगर उजरदार अपील करे तो डेट ऑफ आॅर्डर से ३० दिन कि मियाद मैंने रखी है। यह बिल्कुल साफ और ठीक रखा है। इसीलिए यह एमेन्डमेंट मैंने बढ़ाने के लिये रखा है। "Commissioner, or the Revenue Board, as the case may be, may, if they think fit, extend the time limit allowed by sub-section (1) of sub Section (2) for appeal." और इस सेक्शन में अपील का राइट दिया गया है वह पूरा हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रख कर मैंने इस एमेन्डमेंट को रखा है।

श्री भोगीलाल पंड्या—यह क्लॉज़ सरकार द्वारा सोच-समझ कर रखा गया है खास तौर से उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे नहीं है। उनके फायदे के लिए यह क्लॉज़ रखा गया है कि जब ऑर्डर उनके पास पहुँचे तो उसके बाद ३० दिन। वे लोग पढ़े-लिखे नहीं होते, वे किसी से उसको पढ़ावेंगे; इसलिए यह बहुत जरूरी है और यही सोच कर इसको रखा है। मैं समझता हूँ कि मेरे इतना कहने के बाद माननीय मित्र अपने इस संशोधन को वापिस ले लेंगे।

श्री तनसिंह—अभी माननीय मन्त्रीजी ने फरमाया कि यह क्लॉज़ बहुत सोच-विचार के बाद रखा गया है। उनके कहने से ऐसा मालूम होता है कि हमने बिना सोचे-विचारे यह संशोधन रखा है। मेरी बात को, मैं समझता हूँ, यदि कोई जवाब होता कि यह बात सही है या गलत तब तो मैं कुछ कहता ही, मगर मेरी बात का कोई जवाब नहीं। ऐसी हालत में मै सिर्फ इसलिए कि सरकार ने इसे सोच समझ कर रखा है मानने को तैयार नहीं हूँ और अपना संशोधन वापिस नहीं लेता हूँ।

श्री भोगीलाल पंड्या—मैंने बतलाया कि बिना पढ़े-लिखे लोगों को सुविधा देने के लिये ऐसा किया गया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधन जो श्री तनसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

[श्री अध्यक्ष]

(मतदान के पश्चात्)

संशोधन गिर गया।

श्री मानसिंह महार---Ayes have it.

श्री अध्यक्ष--Call all the Members by Division Bell. I am calling the Bell. It is more or less a resentment against the absentees.

(विभाजन घण्टी के पश्चात्)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन खण्ड ७ में श्री तनसिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ७ को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड ७ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड ८, श्री जवानसिंह

(अनुपस्थित)

अब मैं चारों क्लॉजेज़ ८, ६, १०, ११ एक साथ लेता हूँ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड ८, ६, १० और ११ स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

Page No.61

[श्री अध्यक्ष]

खण्ड ८, ६, १० और ११ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

खण्ड १२, श्री जवानसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि खण्ड १२ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड १२ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

खण्ड १३

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १३ स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड १३ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १ और प्रिएम्बल (कुछ रुक कर)

खण्ड १ में श्री जवानसिंह का संशोधन है कि ५३ के बजाय ५४ कर दिया जाय।

श्री भोगीलाल पंड्या—५४ होना चाहिए, यह मैं स्वीकार करता हूँ।

श्री मानसिंह महार—The amendment has not been moved. How can it be accepted before it is moved ?

श्री अध्यक्ष—Let it be 1953.

(हँसी)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रिएम्बल तथा इनेक्टिंग फोर्मुला स्वीकार किये जाँय ?

(स्वीकृत)

Clause I, Preamble and the enacting formula are added to the Bill.

श्री भोगीलाल पंड्या (धर्मार्थ विभाग)—मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को पारित किया जाय।

(श्री महार बोलने को खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

श्री तनसिंह—Very important.

श्री अध्यक्ष—All right.

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, इस बिल पर बोलने का मेरा पहले विचार नहीं था लेकिन बिल जब कन्सीडरेशन की स्टेज़ पर आया उस समय और खास कर पाँचवें क्लॉज पर बोलने का विचार हुआ। यह बिल जिस ढङ्ग से आया, मेरा खयाल हैं, जैसा इसको मैंने समझा, इसमें काफी गलत क्लॉज़ेज़ पेश हुई हैं।

श्री अध्यक्ष—It is not a Select Committee. 21 Members have devoted their attention and considered this.

श्री तनसिंह—मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि सिलेक्ट कमेटी ने इसको गौर से पढ़ कर पेश नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर निवेदन करूँ कि खण्ड ४ में जो रखा हुआ है कि "or ordinary religious rites" और जिसके लिए वास्तव में अमेन्डमेन्ट आया और स्वीकार कर लिया गया। तो, मैं निवेदन करूँ कि जब २१ आदमियों की कमेटी ने तय कर लिया है और लिखा है कि "In the opinion of the Committee it would not be desirable to make it incumbent to obtain permission of the Collector even for ordinary religious rites, and there should be no such restriction over such rites Sub-clause (2) of the clause has accordingly been amended." जब इतने २१ आदमियों की ह्यूज (विशाल) समिति ने इस प्रकार की रिपोर्ट में निर्णय दे दिया तो एक छोटे से संशोधन को बिना बहस किये ही मन्त्री महोदय ने स्वीकार कर लिया और यह मानते हुए भी कि बिल में सोच-समझ कर बातें रखी हैं, सिलेक्ट कमेटी ने सोच-समझ कर रखा है; मन्त्री महोदय ने बिना हिचकिचाहट के ही जो उसको स्वीकार कर लिया, यह उचित नहीं प्रतीत होता। इसका मतलब यह होता है कि माननीय मन्त्री के पास संशोधन पहले आ चुके हैं और वे पहले ही उन पर निश्चित निर्णय कर चुके हैं, किन्तु मेरे संशोधन के बारे में निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि ध्यान नहीं दिया गया है और यह भी नम्रतापूर्वक निवेदन करूँगा

[श्री तनसिंह]

कि अब तक उन्होंने समझा नहीं होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ और उन्होंने सिर्फ यही बात कही कि यह बहुत जरूरी है और सोच-समझ कर रखा गया है, उसके सिवाय उनका कोई जवाब नहीं।

श्री अध्यक्ष—The reflection is on the whole House, not on the Member-in-charge of the Bill

श्री तनसिंह—होल हाउस (समस्त सदन) तो अब आया है, तब नहीं आया था।

तो, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब माननीय मन्त्री ही इस बिल के बारे में स्पष्ट नहीं हैं, तो ऐसे बिल को पास करने से कोई लाभ नहीं है।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, इस बिल के बारे में बोलने का पहले विचार नहीं था लेकिन जो अवहेलनापूर्ण नीति हमारे मन्त्रीजी ने अपनाई है उसको देखकर मैंने सोचा कि सिलेक्ट कमेटी में भी इसी प्रकार की कार्यवाही की गई होगी। इसलिए सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट मैंने अभी देखी और मैंने देखा कि जो घोर अन्याय होने वाला है उसको अवश्य दूर किया जाना चाहिए। यह तो हम जानते ही हैं कि हमारे मन्त्रीजी की, रिलीजियस मामलों का जहाँ तक ताअल्लुक है, धार्मिक चीजों के प्रति कितनी श्रद्धा है और मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि सदन के सामने एक ऐसा बिल आया है जो कि दिखने में बड़ा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन बाहर देहातों में जाकर इस बिल से जो दिक्कतें पैदा होंगी उनको यदि देखा जायगा तो मालूम होगा कि जनता के लिए यह कितना हानिकारक (बिल) है। देहात की जनता से यह कहा जाय कि छोटी-छोटी बातों के लिए कलेक्टर से इजाजत लें, इससे लें, उससे लें इसके लिए मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये से मन्त्रीजी को निवेदन करूँगा कि आपकी सरकार में रेड टेपिज्म (red tapism) इतना बढ़ा हुआ है कि यदि इस प्रकार की इजाजत लेने कोई देहाती शहर में आयेगा तो या तो उसको किसी वकील को दस-पाँच रुपया देकर इजाजत लेनी पड़ेगी, नहीं तो उस गरीब को कलेक्टर साहब, एस. डी. एम. साहब तथा और कोई भी साहब जो होंगे, कोई इजाजत नहीं देंगे। यह बिल लाकर शायद आपकी पक्ष में आपके जो मित्र हैं और जो इस प्रकार का काम करते हैं वे वकालत करेंगे और दस-बीस रुपया लेकर इजाजत दिलाने का नया पेशा खोलेंगे और शायद इस बिल को इसीलिए ले रहे हैं। अतः इस बिल की थर्ड रीडींग पर बोलते हुए मैं सदन से अपील करूंगा कि सदन इस बिल को हरगिज पास न करे और इस बिल पर सिलेक्ट कमेटी ने जो थोड़े बहुत सजेशन्स दिये हैं, पर्याप्त नहीं हैं। इसी बात को सोच कर हम चाहते हैं कि इस बिल का विरोध करें। जिन मन्त्री महोदय के पास यह बिल है, अध्यक्ष महोदय देहातों की दिक्कतों को ज्यादा महसूस नहीं कर रहे हैं। वे यह चाहते हैं कि बहुत मुमकिन है कि डूंगरपुर की तरफ इस प्रकार की समस्या न हो। उनका दायरा डूंगरपुर में सीमित है, इसलिए जयपुर की बाबत नहीं समझे होंगे और उन्होंने इसलिये इस बिल को लाना उपयुक्त समझा होगा। बाड़मेर से आये हुए मित्र ने फरमाया कि यह बिल खतरनाक चीज़ होगी और मैं भी यही कहता हूँ कि इस बिल को पास नहीं किया जाय।

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष,......

श्री अध्यक्ष—अब तो उत्तर दिया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—मैं सिर्फ दो मिनिट के लिए ही बोलना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष। यह बिल फोर्स (force) नहीं करता है। भूतपूर्व जयपुर रियासत में भी एक्ट था ताकि किसी जगह पर इस प्रकार के स्थानों के लिए कोई लड़ाई-झगड़ा न हो। यह बात जरूर है कि इस बिल में कमियाँ रह गई हैं।

(विपक्ष की ओर से करतलध्वनि)

सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर साहबान के प्रति सम्मान रखते हुए मैं कहूँगा कि उनके साथ भी डेन्जर रहा और मेरे साथ यह नेग्लीजेन्स (negligenco) रही कि मैं अमेन्डमेंट टाइम पर नहीं दे सका। इसमें दो ऐसी खामियाँ हैं जिनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अगर साधारण जमीन किसी व्यक्ति को दी जाती है तो "By beat of drums" एलान होता है, कोन्स्पीकुअस प्लेस (conspicuous place) पर सूचना दी जाती है ताकि कोई उजरदार हो तो कार्यवाही कर लें।

कलेक्टर को डिस्क्रीशनरी पावर (discretionary power) दिये गये हैं किन्तु मेरा यह निवेदन है कि वह किस तरह यह मालूम कर सकेगा कि यह रिलीजियस प्लेस है या नहीं क्योंकि वह जगह तो ऐसी जगह होगी जिस जगह से हर व्यक्ति इन्टरेस्टेड रहेगा।

इसके अलावा इसमें एक और अहम खामी रह गई है। इस प्रकार की एप्लीकेशन देने की इजाजत देने पर महीने भर के अन्दर वह खामा पूर्ति नहीं कर सकेगा। अतः इसके लिए यह ठीक रहेगा कि वह उस नगर के अखबारों के अन्दर उसका नोटिस शाया कर दे, ताकि कोई भी व्यक्ति एप्रोच कर सके, आब्जेक्शन (objection) दे सके कलेक्टर के पास, अपनी बात प्रगट कर सके।

दूसरी चीज की जो खामी रह गई है अपील के प्रोवीजन की। केवल एप्लीकेन्ट तक महदूद किया गया है; लेकिन जब किसी गाँव में वारदात होगी जहाँ कि कॉम्युनिकेशन्स [यातायात] के साधन उपलब्ध नहीं होंगे जहाँ से शहर तीस-तीस माइल दूर है; इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इसमें इन्टरेस्टेड हों, उनको देरी करा सकते हैं, वे आज्ञा प्राप्त कर लें और दूसरे व्यक्ति का आना न हो, इसलिए जो तीस दिन की अपील की पाबन्दी रखी गई है यह प्रोवीजन थोड़ा है। जब कलेक्टर की परमिशन मिल जाय तो कोई भी विरोध में कह सकता है। यह परिस्थिति है जो मैंने आपकी खिदमत में रख दी है।

श्री अध्यक्ष—I have not followed anything.

श्री श्रीदास गोयल—I am so sorry, I am not in a position to explain more explicitly

Page No.65

श्री भोगीलाल पंड्या [धर्मार्थ विभाग मन्त्री]—माननीय अध्यक्ष, मेरे माननीय मित्र जो इस विषय में कुछ कहने के लिए खड़े हुए थे और बताया कि मुझे ग्रामीण जनता का अनुभव नहीं है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि मैं स्वयं एक ग्रामीण हूँ और उन्होंने कहा कि डूँगरपुर में ऐसे कानून होंगे। उनसे मेरा निवेदन है कि डूँगरपुर जिले में इस प्रकार का कोई कानून नहीं है। यह कानून जयपुर के गाँव-गाँव में है और इन्हीं गाँव वालों के लाभ के लिए यह बिल रखा गया है। उनको इसके लिए मिनिस्टरों के पास आना पड़ता था। अब यह अधिकार जिले के कलेक्टर को दे दिये हैं ताकि जनता इससे लाभ उठावे और उनको यहाँ तक आने की तकलीफ न हो। इसका मुख्य उद्देश्य गाँव के लोगों को राहत देनी है और इसी उद्देश्य से यह रखा गया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह विधेयक पारित हो।

[स्वीकृत]

विधेयक पारित हुआ।

राजस्थान सिंचाई तथा जलोत्सारण विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—Irrigation and Drainage Bill; shall we finish it ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—There are many amendments.

श्री अध्यक्ष—The best thing is now to adjourn. So the House now adjourns for the 26th of this month till 8-30 A. M.

श्री हरिकृष्ण व्यास—What happened to the No-confidence Motion against the Speaker, Sir ?

श्री अध्यक्ष—Everything shall come in due course. Do not be impatient.

Some persons want to assert their importance by intruding the business of the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास—No, Sir, assert the importance of the motion, not of the person.

श्री अध्यक्ष—That is an indirect way of asserting the importance of the person.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The questioner has not moved the motion, Sir.

श्री अध्यक्ष—We now adjourn for the 26th at 8-30, or afternoon ?

Page No.66

कु० श्री जसवन्तसिंह—Afternoon, Sir, people can come.

श्री अध्यक्ष—All right, afternoon. At what time ?

कु० श्री जसवन्तसिंह—4 o'clack, Sir.

श्री अध्यक्ष—All right, four o'clock.

(सदन की कार्यवाही १२-१० बजे मध्यान्होत्तर, दिनांक २६-४-५४ के ४ बजे सायं तक के लिये स्थगित हुई ।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनाँक-२ अप्रेल, १६५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा ।